यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून के माह 04/2015 से 10/2020 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो कि डा० सतीश पाल, श्री अनिल कुमार तथा श्री खुशीराम सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा श्री ए०सी० कटियार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 17.11.2020 से 15.12.2020 तक सम्पादित की गयी

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री ए०के० श्रीवास्तव एवं श्री कुलदीप कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनांक 16.04.2012 से 26.04.2012 तक श्री राकेश कुमार, लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 2005-06 से 2011-12 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः उत्तराखण्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन।

(ii) (अ) **विगत तीन वर्षों में उपकर प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

----Annexure-I के अनुसार--------

(ब) **विगत तीन वर्षों में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

(रु लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		अवशेष			
							स्थापना		गैर स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन)	व्यय	आवंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत	आधिक्य (+)	बचत
2015-16 से 2020-21(10/2020)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(स) Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत तीन वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

वर्ष		-	-
प्रारम्भिक शेष	-	-	-
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया	-	-	-
व्यय	-	-	-
अंतिम शेष	-	-	-

(द) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	अधिक्य(+)/ बचत(-)	ब्याज
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

(iii) इकाई द्वारा श्रम उपकर के रूप में प्राप्त धनराशि का व्यय निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु किया जाता है। गैर-स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई “अ” श्रेणी की है। विभाग का कोई संगठनात्मक ढांचा स्वीकृत नहीं है।

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार

कल्याण बोर्ड, देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2019, 05/2019 एवं 05/2020 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन भिन्न वित्तीय वर्ष में अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग- 2(अ)

प्रस्तर:-01- माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेश के प्रतिकूल महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति-सुविधा हेतु धनराशि रु 55.00 लाख का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया जाना।

1- उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) नियम 2005 के नियम-271 के अनुसार पंजीकृत महिला निर्माण श्रमिक के प्रसूति-प्रसुविधा हेतु आर्थिक सहायता रु 1000/- निर्धारित थी।

2- जिसे अग्रेतर उत्तराखण्ड शासन श्रम एवं सेवायोजन विभाग संख्या 1681/VIII/11-680(श्रम)/2002, देहरादून, 12 दिसम्बर 2011 (अधिसूचना) द्वारा प्रसुविधा राशि को बढ़ाकर रु 5,000/- तथा संख्या /VIII/16-680(श्रम)टीसी/2002, देहरादून, 06 अक्टूबर 2016 (अधिसूचना) द्वारा प्रसुविधा राशि को पुन: बढ़ाकर रु 10,000/- किया गया था।

3- आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय(दिनांक 04-10-2018) के आधार पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार के D.O.NO. Z-20012/09/2018-BL, OCTOBER 30, 2018 द्वारा पुन: योजना की धनराशि को रु 6000/- प्रसुविधा किया गया था, जो किसी भी सरकार (केंद्र/राज्य) की योजना के लाभ के अतिरिक्त देय थी।

4- उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम-2005 के **नियम-291** मे स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि एक्ट एवं नियमों मे इंगित उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों पर व्यय बिना शासन के पूर्वानुमोदन के नहीं किया जाएगा एवं भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम 1996 (ACT NO. 27 OF 1996) के नियम-22(Functions of the Boards) के बिन्दु (1-h) के अनुसार ***make provision and improvement of such other welfare measures and facilities as may be <u>prescribed</u>[1] वर्णित था।***

उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच के दौरान पाया गया कि बोर्ड के अन्तर्गत फायदाग्राही पंजीकृत महिला कर्मकार को प्रसूति की अवधि के दौरान बोर्ड स्तर पर योजना के दिशा निर्देशो एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश (04.10.2018) के आधार पर भारत सरकार के उक्त दिशा निर्देशो की अनदेखी करते हुये 433 लाभार्थियों को प्रसूति-सुविधा हेतु आर्थिक सहायता धनराशि रु 54,94,000/- का उत्तराखण्ड शासन के उक्त उल्लेखित अधिनियम एवं उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम-2005 के नियम-271 एवं 271(1) मे शासन स्तर से संशोधन कराये बिना ही बोर्ड कार्यालय द्वारा देय धनराशि से अधिक धनराशि का निम्न प्रारूपानुसार विभिन्न अवधियों मे भुगतान किया गया था-

---

[1] As per aforesaid **Act of 2(m)** “**prescribed**” means prescribed by rule made under this act by the Central Government or, as the case may be, the State Government.

क्रमांक	प्रसूति अवधि	देय धनराशि प्रसुविधा (रु)	प्रदत धनराशि प्रसुविधा (रु)	लाभार्थीयों की संख्या	प्रदत धनराशि (रु)	देय धनराशि (रु)	अधिक भुगतानित धनराशि (रु)
1	04/2015 से 09/2016	5,000/-	10,000/- (पुत्र एवं पुत्री)	13	1,30,000.00	65,000.00	65,000.00
2	10/2016 से 10/2018	10,000/-	पुत्र-15,000/-	21	7,65,000.00	3,90,000.00	3,75,000.00
			पुत्री-25,000/-	18			
3	11/2018 से 10/2020	6,000/-	10,000/- (पुत्र एवं पुत्री)	49	4,90,000.00	2,94,000.00	1,96,000.00
4	11/2018 से 10/2020	6,000/-	पुत्र-15,000/-	145	68,50,000.00	19,92,000.00	48,58,000.00
			पुत्री-25,000/-	187			
कुल				**433**	**82,35,000.00**	**27,41,000.00**	**54,94,000.00**

इस प्रकार उपरोक्त विवरण से स्पष्ट था कि यदि बोर्ड स्तर से अधिक भुगतानित धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाता तो उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून के 893-अतिरिक्त श्रमिक पात्र लाभार्थी अधिक भुगतानित धनराशि से सीधे तौर पर लाभान्वित हो सकते थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये स्पष्ट किया कि प्रसूति सहायता एवं अन्य आर्थिक सहायता की धनराशि बढ़ाये जाने के निर्णय पर तत्कालीन सचिव बोर्ड से भी इस सम्बन्ध मे आख्या प्राप्त की जा रही है कि बिना शासन का पूर्वानुमोदन लिए किस प्रकार उक्त आर्थिक सहायता जारी की गयी है। इस प्रकार इकाई का उत्तर स्वत: ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है।

अत: माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं उत्तराखण्ड शासन के आदेशों के प्रतिकूल महिला निर्माण श्रमिकों को प्रसूति-सुविधा हेतु धनराशि रु 55.00 लाख का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर-02 बोर्ड स्तर से वार्षिक बजट शासन से स्वीकृत न कराये जाने एवं बोर्ड के वार्षिक क्रियाकलापों से संबन्धित रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत न किए जाने के साथ ही बोर्ड सचिव को प्रशासनिक एवं वित्तीय प्राधिकार प्राधिकृत न किए जाने के बावजूद ही बोर्ड सचिव द्वारा बोर्ड कार्यालय से संबन्धित समस्त व्यय स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

बोर्ड कार्यालय के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि:

1. उत्तरांचल भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियम, 2005 के नियम संख्या 261 (सी) के प्रावधानों के अनुसार उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून स्तर से प्रतिवर्ष बोर्ड का वार्षिक बजट शासन से स्वीकृत प्राप्त करने हेतु शासन को प्रस्तुत किया जाना था। जबकि संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि संप्रेक्षा अवधि के दौरान बोर्ड स्तर से बोर्ड का वार्षिक बजट शासन से स्वीकृत प्राप्त करने हेतु शासन को किसी वर्ष भी प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट है कि बोर्ड स्तर पर वर्ष 2015-16 से संप्रेक्षा अवधि तक शासन स्तर से बिना बजट स्वीकृत कराये ही सभी व्यय किए गए।

2. उत्तरांचल भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियम, 2005 के नियम संख्या 261 (डी) के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के वार्षिक क्रियाकलापों से संबन्धित वार्षिक रिपोर्ट शासन को प्रतिवर्ष प्रस्तुत की जानी थी। जबकि नमूना जांच के दौरान पाया गया कि बोर्ड स्तर पर बोर्ड के वार्षिक क्रियाकलापों से संबन्धित वार्षिक रिपोर्ट शासन को वर्ष 2015-16 से संप्रेक्षा अवधि तक कभी प्रस्तुत नहीं की गई।

3. उत्तराखंड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियम, 2005 के नियम-264 (1) एवं (2) में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि:

(1) बोर्ड सचिव बिना बोर्ड को संदर्भित किए व्यय एवं आकस्मिकता, आपूर्ति एवं सेवाएँ एवं सामानों का क्रय,निधि के प्रशासन हेतु वापसी उस सीमा तक कर सकता है जिस सीमा तक बोर्ड द्वारा समय-समय पर बोर्ड सचिव को किसी एक मद पर व्यय स्वीकृत करने हेतु प्राधिकृत किया जाए।

(2) बोर्ड सचिव उपनियम (1) में दिये गए प्राधिकारों से भिन्न अन्य प्रशासनिक एवं वित्तीय प्राधिकारों का उपयोग भी कर सकता है जो उसे बोर्ड स्तर से समय-समय पर प्राधिकृत किए जाएँ।

जबकि लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि बोर्ड स्तर से बोर्ड सचिव को कभी प्रशासनिक एवं वित्तीय प्राधिकार प्राधिकृत नहीं किए जाने के बावजूद भी बोर्ड सचिव द्वारा बोर्ड कार्यालय से संबन्धित समस्त व्यय स्वीकृत किए गए।

उपरोक्त विसंगतियों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा बिन्दु संख्या 1 एवं 2 के संबंध में अवगत कराया गया कि तत्कालीन बोर्ड सचिव से उत्तर प्राप्त किया जा रहा है। भविष्य में बी०ओ०सी०डब्लू नियम-2005 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। वर्तमान बोर्ड सचिव का भविष्य में अनुपालन किए जाने की स्वीकारोक्ति से स्वतः सिद्ध होता है कि बोर्ड स्तर पर बी०ओ०सी०डब्लू नियम-2005 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया तथा बिन्दु संख्या 3 के संबंध में वर्तमान बोर्ड सचिव ने अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि अधिनियम के अनुसार सभी वित्तीय शक्तियाँ बोर्ड सचिव के पास हैं। बोर्ड द्वारा प्रथक से व्यय हेतु अधिकृत नहीं

किया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के उपरांत आगामी बोर्ड बैठक में व्यय की सीमा निर्धारित की जाएगी। उक्त के संबंध में तत्कालीन बोर्ड सचिव से भी प्रतिउत्तर प्राप्त किया जा रहा है।
इकाई का यह कथन कि अधिनियम के अनुसार सभी वित्तीय शक्तियाँ बोर्ड सचिव को हैं, पूर्णतः गलत है क्योंकि उतराखंड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियम, 2005 के नियम-264 (1) एवं (2) भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियमन 1996 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार ही राज्य स्तर पर बनाए गए हैं तथा इकाई की यह स्वीकारोक्ति, कि आगामी बोर्ड बैठक में बोर्ड सचिव की व्यय की सीमा निर्धारित की जाएगी, से स्वतः सिद्ध होता है कि बोर्ड स्तर पर बोर्ड सचिव को प्रशासनिक एवं वित्तीय प्राधिकार प्राधिकृत न किए जाने के बावजूद भी बोर्ड सचिव द्वारा बोर्ड कार्यालय से संबन्धित समस्त व्यय स्वीकृत किया जाना अनियमित था।
अतः बोर्ड स्तर से वार्षिक बजट शासन से स्वीकृत न कराये जाने एवं बोर्ड के वार्षिक क्रियाकलापों से संबन्धित रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत न किए जाने के साथ ही बोर्ड सचिव को प्रशासनिक एवं वित्तीय प्राधिकार प्राधिकृत न किए जाने के बावजूद भी बोर्ड सचिव द्वारा बोर्ड कार्यालय से संबन्धित समस्त व्यय स्वीकृत किए जाने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो (अ)

प्रस्तर-3: शासनादेश का अनुपालन न करते हुए धनराशि ` 16.73 करोड़ का अनियमित व्यय।

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून की बैठक दिनांक 23.10.2017 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत के बिन्दु संख्या 20 के अनुसार बोर्ड की आय में वृद्दि करने हेतु आउटसोर्सिंग करते हुए नई टेक्नोलोजी आधारित सर्वक्षण किये जाने का निर्णय लिया गया, उक्त सर्वक्षण हेतु बोर्ड द्वारा प्रथम फेज़ मे देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर एवं नैनीताल जिले में लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर में उपकर की गणना सर्वेक्षण के माध्यम से किए जाने हेतु बोर्ड एवं टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (Telecommunications Consultants India Limited) के मध्य 07 सितम्बर 2018 को एग्रीमेंट (Agreement) किया गया, जिसमे सर्वक्षण लागत ` 1,35,000.00 प्रति वर्गकिलोमीटर प्लस लागू कर की दर (applicable taxes i.e. GST @ 18 *percent* एवं 5 *percent* प्रशासनिक व्यय प्लस लागू कर की दर (applicable taxes i.e. GST @ 18 *percent* जिसकी कुल लागत ` 16,72,65,000 स्वीकृत की गई। उक्त के सम्बंध मे उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या/XXXIV/2016-77/2015 दिनांक 15 जनवरी, 2016 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार:-

(1) राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित तकनीकी कार्यों के मूल्यांकन हेतु शासन स्तर पर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। विभिन्न विभागों के सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित चिन्हित कार्यों को कराये जाने से पूर्व योजना/कार्य का मूल्यांकन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा किया जाना था। तथा बिन्दु संख्या 6 के अनुसार प्रस्तावित कार्यो के तकनीकी मूल्यांकन/परीक्षणोपरांत सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत डीपीआर/आगणन की लागत/दरों का परीक्षण शासन के टी०ए०सी (वित्त विभाग) से कराया जाना था। बोर्ड कार्यालय स्तर पर योजना/कार्य का मूल्यांकन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा नही कराया गया था तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्रस्तुत डीपीआर/आगणन की लागत/दरों का परीक्षण शासन के टी०ए०सी (वित्त विभाग) से नही कराया गया था।

(2) बिन्दु संख्या 7 के अनुसार सूचना प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित कार्यों/परियोजनाओं जिनकी लागत ` 5 करोड़ (` पांच करोड़) से अधिक की है, का मूल्यांकन शासन में व्यय वित्त समिति (EFC) से कराया जाना था। उक्त कार्य की लागत ` 5 करोड़ (` पांच करोड़) से अधिक होने के बाद भी बोर्ड कार्यालय स्तर पर कार्यों का मूल्यांकन शासन में व्यय वित्त समिति (EFC) से नही कराया गया था।

(3) उक्त शासनादेश के बिन्दु संख्या 10 के अनुसार कार्यदायी संस्था द्वारा संपादित कार्यों की गुणवत्ता/तकनीकी जांच/ऑडिट तृतीय पक्ष से (Third Party) से कराकर गुणवत्ता प्रमाण-पत्र विभाग को नही दिया गया था।

जबकि बोर्ड कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि बोर्ड द्वारा टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड (Telecommunications Consultants India Limited) के साथ एग्रीमेंट (Agreement) करने से पूर्व उत्तराखंड शासन के शासनादेश संख्या/XXXIV/2016-77/2015 दिनांक 15 जनवरी, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित नही किया गया तथा कार्यदायी संस्था द्वारा संपादित कार्यों की गुणवत्ता/तकनीक की कोई जांच/ऑडिट बोर्ड द्वारा नही कराई गयी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये स्पष्ट किया कि तत्कालीन सचिव बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही था। इकाई का उत्तर तर्कसंगत नही है, क्योंकि तत्कालीन सचिव से विषयगत प्रकरण मे आख्या प्राप्त करना बोर्ड का आन्तरिक मामला है जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख प्रदान करना वर्तमान बोर्ड सचिव का शासकीय दायित्व था। इस प्रकार बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख उपलब्ध न कराया जाना लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति बोर्ड की स्वीकारोक्ति है। अत: इस प्रकार उक्त प्रकरण में शासनादेश का अनुपालन न करते हुए धनराशि ` 16.73 करोड़ के अनियमित व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-2(अ)

प्रस्तर-04: न्यूनतम निविदादाता को निविदा प्रदान न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹1.94 करोड़ का परिहार्य व्यय।

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कार्यालय के लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि:

निर्माण कार्यों में नियोजित निर्माण श्रमिकों को साईकिल तथा पर्वतीय क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों अथवा उनके आश्रितों को सिलाई मशीन के वितरण हेतु कार्यालय के पत्रांक-1314/छः-94/B&OC/सि०म०/साई०/2014-15 दिनाँक-27-03-2015 के माध्यम से निविदा प्रकाशित की गई। निविदा की अनुमानित लागत रु 35.00 लाख थी तथा यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि बोर्ड द्वारा निविदा में सामग्री की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था। प्रकाशित निविदा के अनुसार निविदा प्राप्त करने की तिथि तथा जमा करने की तिथि क्रमशः 30.03.2015 तथा 03.04.2015 थी। इस प्रकार निविदादाता को निविदा जमा करने हेतु 05 दिन का समय दिया गया। जबकि उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियम-13 के प्रावधानों के अनुसार ₹25.00 लाख एवं इससे अधिक की अनुमानित मूल्य की वस्तुओं की आपूर्ति विज्ञापन के द्वारा निविदा आमंत्रण के द्वारा ली जानी चाहिए एवं निविदा प्रकाशन अथवा बिडिंग डोक्यूमेंट के विक्रय की उपलब्धता जो भी बाद में हो, की तिथि से कम से कम तीन सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए। साईकिल क्रय हेतु प्राप्त निविदाओं में फाइनेंसियल बिड के तुलनात्मक विवरण के अनुसार प्रथम न्यूनतम दर रु 2800/- तथा द्वितीय न्यूनतम दर रु 3630/- थी। निविदा समिति द्वारा आईएसआई प्रमाण पत्र संलग्न न होने के कारण प्रथम न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृत नहीं की गई थी जबकि दुखी साईकिल स्टोर की निविदा रु 3630/- प्रति साईकिल स्वीकृत की गई थी। परंतु दुखी साईकिल स्टोर द्वारा जमा किए गए फाइनेंसियल बिड सम्बन्धी अभिलेख बोर्ड स्तर पर संप्रेक्षा को उपलब्ध नहीं कराये जा सके जिससे इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि दुखी साईकिल स्टोर द्वारा निविदा के साथ वास्तव में आईएसआई प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था अथवा नहीं। जिसके उपरोक्त प्रकरण में प्रथम न्यूनतम निविदादाता को निविदा न दिये जाने के परिणामस्वरूप साईकिल आपूर्ति हेतु बोर्ड स्तर पर **रु 1.94 करोड़** (23343x830) का परिहार्य व्यय किया गया।

आगे लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि बोर्ड द्वारा रु 35.00-35.00 लाख की अनुमानित निविदा की दरों पर ही निविदादाता दुखी साईकिल स्टोर से ही 23343 साइकिलों की आपूर्ति रु 847.71 लाख (संलग्नक-1 के अनुसार) की धनराशि भुगतान करते हुये बोर्ड द्वारा आपूर्ति ली गई तथा सिलाई मशीन की आपूर्ति हेतु स्वीकृत निविदादाता मै० कूमायूं स्टोर, नैनीताल से ही 19325 सिलाई मशीनों की आपूर्ति ₹550.76 लाख (संलग्नक-2 के अनुसार) की धनराशि भुगतान करते हुये बोर्ड द्वारा आपूर्ति ली गई।

आगे यह भी पाया गया कि साईकिल एवं सिलाई मशीन की निविदाओं के बिन्दु संख्या-18 के अनुसार स्वीकृत निविदा की दरें दिनाँक-31.03.2016 तक वैध थीं, विशेष परिस्थिति में इसे दोनों पक्षों की सहमति से दिनाँक-30.06.2016 तक बढ़ाया जा सकता था। बोर्ड कार्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में 01.04.2016 से 30.06.2016 तक विशेष परिस्थितियों में साईकिलों एवं सिलाई मशीनों की आपूर्ति

किए जाने विषयक कोई पत्र नहीं पाया गया। उक्त संविदा के आधार पर बोर्ड द्वारा 31.03.2016 के पश्चात भी दुखी साईकिल स्टोर तथा मै० कुमायूं स्टोर से क्रमशः **रु 595.50लाख(संलग्नक-01 के अनुसार)** तथा **रु 399.68 लाख(संलग्नक-02 के अनुसार)** की साईकिलों एवं सिलाई मशीनों की आपूर्ति 1.5 वर्ष पश्चात तक ली गई थी।

इकाई ने उक्त आपत्ति के सन्दर्भ में अपने उत्तर में बताया कि चूँकि बोर्ड कार्यालय मार्च 2018 तक श्रम आयुक्त कार्यालय हल्द्वानी में संचालित था। उक्त प्रकरण वित्तीय वर्ष 2015-16 का है। दुखी साईकिल स्टोर की फाईनेंसियल बिड सम्बन्धी पत्रावली की खोज की जा रही है। तुलनात्मक विवरण पत्रावली पर उपलब्ध है। तकनीकी बिड के कागजात पत्रावली पर संलग्न है। इस सम्बन्ध में तत्समय बोर्ड में कार्यरत कार्मिक से आख्या प्राप्त की जा रही है। क्योंकि तुलनात्मक विवरण के अनुसार न्यूनतम निविदादाता को निविदा प्रदान नहीं की गई तथा इकाई द्वारा फाईनेंसियल बिड सम्बन्धी पत्रावली प्रस्तुत न किए जाने के कारण दुखी साईकिल स्टोर द्वारा आई०एस०आई प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने की पुष्टि नहीं की जा सकी, इसलिए इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः न्यूनतम निविदादाता को निविदा प्रदान न किए जाने के परिणामस्वरूप रु 1.94 करोड़ का परिहार्य व्यय किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-I

अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा 01-04-2015 से 30-06-2016 तक साईकिल माँग एवं आपूर्ति का विवरण

क्र.सं.	कार्यालय का पत्रांक सं व दिनाँक	प्रेषित कार्यालय का नाम	माँग की मात्रा	आपूर्ति की मात्रा	चैक संख्या	भुगतानित धनराशि	अभ्युक्ति
1	1472/छः-94(A)B&OC/साइकिल आपूर्ति/2015-16 दिनांक-10-04-2015	उप श्रम आयुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी	80	26	712380	94380	
2	2836/छः-94(A)B&OC/साइकिल आपूर्ति/2015-16 दिनांक-13-07-2015	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टनकपुर	180	180	401321	653401	
3	2967/छः-94(A)B&OC/साइकिल आपूर्ति/2015-16 दिनांक-21-07-2015	उप श्रम आयुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी	452	379	401332	1375770	
4	3035(B)/छः-94(A)B&OC/साइकिल आपूर्ति/2015-16 दिनांक-24-07-2015	उप श्रम आयुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी	571	-	-	-	
5	3071(A)/छः-94(A)B&OC/साइकिल आपूर्ति/2015-16 दिनांक-25-07-2015	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, काशीपुर	484	484	723463	1756923	
6	3447/छः-94(A)B&OC/साइकिल आपूर्ति/2015-16 दिनांक-19-08-2015	सहायक श्रम आयुक्त, हरिद्वार	1266	1266	401338 & 000161	4595582	605+661
7	3605/छः-94(A)B&OC/साइकिल आपूर्ति/2015-16 दिनांक-28-08-2015	अपर श्रम आयुक्त, देहरादून	2420	2169	000162,723462&723144	7873192	877+324+968
8	4001/छः-	अपर श्रम	430	-	-	-	

	94(A)B&OC/साइकिल आपूर्ति/2015-16 दिनांक-01-10-2015	आयुक्त, देहरादून					
9	5091/छः-94(A)B&OC/साइकिल आपूर्ति/2015-16 दिनांक-26-12-2015	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, काशीपुर	615	570	000103	2069104	
10	211/छः-94(A)B&OC/साइकिल आपूर्ति/2015-16 दिनांक-14-01-2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टनकपुर	392	392	716034	1422963	
11	212/छः-94(A)B&OC/साइकिल आपूर्ति/2015-16 दिनांक-14-01-2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, रामनगर	81	79	716032	286770	
12	220/छः-94(A)B&OC/साइकिल आपूर्ति/2015-16 दिनांक-14-01-2016	उप श्रम आयुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी	1091	343	716036	1245092	
13	556(A)/छः-94(A)B&OC/साइकिल आपूर्ति/2015-16 दिनांक-22-02-2016	उप श्रम आयुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी	400	-	-	-	
14	808/छः-94(A)B&OC/साइकिल आपूर्ति/2015-16 दिनांक-25-02-2016	उप श्रम आयुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी	1025	960	000101	3484801	
15	960/छः-94(A)B&OC/साइकिल आपूर्ति/2015-16 दिनांक-10-03-2016	उप श्रम आयुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी	100	100	000102	363001	
16	1242/छः-94(A)B&OC/साइकिल आपूर्ति/2015-16	श्रम प्रवर्तन अधिकारी,	174	-	-	-	

	दिनांक-22-03-2016	काशीपुर					
17	1276/छः-94(A)B&OC/साइकिल आपूर्ति/2015-16 दिनांक-29-03-2016	सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश	200	-	-	-	
18	1598/छः-/BOCW/साइकिल आपूर्ति/2016-17 दिनांक-19-04-2016	सहायक श्रम आयुक्त, ऋषिकेश	200	-	-	-	
19	1855/छः-94/BOCW/साइकिल आपूर्ति/2016-17 दिनांक-03-05-2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, काशीपुर	1098	281	716037	1020032	
20	2054/छः-94/BOCW/साइकिल आपूर्ति/2016-17 दिनांक-11-05-2016	सहायक श्रम आयुक्त, हरिद्वार	1000	560	409297	2032804	
21	2273/छः-94/BOCW/साइकिल आपूर्ति/2016-17 दिनांक-24-05-2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, बाजपुर	681	490	409298	1778704	
	2353/छः-94/BOCW/साइकिल आपूर्ति/2016-17 दिनांक-28-05-2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, रुद्रपुर	994	560	427897,409395	2032804	420+140
22	2382/छः-94 B&OC/साइकिल आपूर्ति/2016-17 दिनांक-30-05-2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, किच्छा	627	560	409293	2032804	
23	2384/छः-94/BOCW/साइकिल आपूर्ति/2016-17 दिनांक-30-05-2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टनकपुर	652	652	716033	2366764	
24	2375/छः-94/BOCW/साइकिल आपूर्ति/2016-17 दिनांक-30-05-2016	उप श्रम आयुक्त, गढ़वाल क्षेत्र,	5066	-	-	-	

		देहरादून					
25	2798C/छः-94/BOCW/साइकिल आपूर्ति/2016-17 दिनांक-30-05-2016	उप श्रम आयुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी	773	642	427898	2330466	
26	2803B/छः-94/BOCW/साइकिल आपूर्ति/2016-17 दिनांक-29-06-2016	उप श्रम आयुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी	1921	1392	409373,997119	5052970	1112+280
27	2802A/छः-94/BOCW/साइकिल आपूर्ति/2016-17 दिनांक-29-06-2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, काशीपुर	2083	1375	894501&033485	4991258	935+440
28	2805D/छः-94/BOCW/साइकिल आपूर्ति/2016-17 दिनांक-29-06-2016	उप श्रम आयुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून	6700	1316	894626,372832	4777080	486+830
29	2807A/छः-94/BOCW/साइकिल आपूर्ति/2016-17 दिनांक-29-06-2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, खटीमा	522	522	409294	1894865	

संयुक्त आदेश

	3035B दिनाँक- 24-07-2015 एवं 220 दिनाँक-14.01.2016 (1662 के सापेक्ष)			990	408198	3593707	343+647
	3605 दिनाँक-28-08-2015			268	000099	972842	
	3035B दिनाँक- 24-07-2015			200	000100	726002	
	3605 दिनाँक-28-08-2015 एवं 2375 दिनाँक-30-05-2016			1810	427899	6570311	17+1793

	2375 दिनाँक-30-05-2016			3007	409394,409292&409299	10951730	1690+1260+67
	2375 दिनाँक-30-05-2016 एवं 2805D दिनाँक-29-06-2016			940	409300	3412207	323+617
	1855 दिनाँक-03-05-2016, 2802A दिनाँक-29-06-2016 एवं 2805D दिनाँक-29-06-2016			830	243663	3012905	420+280+130
	सम्पूर्ण योग		**32278**	**23343**		**84771234**	

संलग्नक-1

अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा 01-04-2015 से 30-06-2016 तक सिलाई मशीन आपूर्ति एवं मांग का विवरण

क्र.सं.	**कार्यालय का आदेश सं व दिनाँक**	**प्रेषित कार्यालय का नाम**	**माँग की मात्रा**	**आपूर्ति की मात्रा**	**चैक संख्या**	**भुगतानित धनराशि**	**अभ्युक्ति**
1	2839 दिनाँक-10.07.2015	उपश्रम आयुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी	34	34	401302	96900	
2	3035(A) दिनाँक-04.07.2015	उपश्रम आयुक्त, कुमायूं क्षेत्र, हल्द्वानी	116	116	401302	330600	
3	3994 दिनाँक-10.10.2015	उपश्रम आयुक्त,गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून	951	951	00165&407678	2710354	
4	3602 दिनाँक-28.08.2015	उपश्रम आयुक्त,गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून	89	89	000165	253650	
5	4964 दिनाँक-16.12.2015	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पिथौरागढ़	1414	1414	407679	4029906	
6	219 दिनाँक-14.01.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, नैनीताल	354	354	723158	1008902	
7	209 दिनाँक-14.01.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, रामनगर नैनीताल	6	6	425125	17100	
8	209 दिनाँक-14.01.2016,207 दिनाँक-14.01.2016 & 826 दिनाँक-01.03.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, अल्मोड़ा	553	553	425126&425172	1576053	51+135+367

9	809 दिनाँक-25.02.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, हल्द्वानी	60	60	715121	171000	
10	959 दिनाँक-10.03.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार	1200	1200	715122	3420005	
11	1273 दिनाँक-29.03.2016	श्रम आयुक्त, ऋषिकेश	200	200	000093	570000	
12	1313 दिनाँक-31.03.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, अल्मोड़ा	224	224	000098	638401	
13	210 दिनाँक-14.01.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टनकपुर	100	100	954230	285000	
14	2055 दिनाँक-11.05.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टिहरी	355	355	000087	1011752	
15	2166 दिनाँक-18.05.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, रुद्रप्रयाग	150	150	000126	427500	
16	2379 दिनाँक-30.05.22016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, गोपेश्वर	300	300	716011	855001	
17	2383 दिनाँक-30.05.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टनकपुर	336	336	716010	957600	
18	2169 दिनाँक-18.05.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पिथौरागढ़	1093	1093	716020	3115055	
19	2376 दिनाँक-29.06.2016	उपश्रम आयुक्त देहरादून	350	350	427189	997501	
20	2799(A) दिनाँक-29.06.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, पिथौरागढ़	840	840	409142	2394004	
21	2800(C) दिनांक-29.06.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, चमोली	1500	1500	409396	4275000	
22	2806(C) दिनाँक-29.06.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, टिहरी	926	926	409355&409255	2639103	170+756
23	2805(C) दिनाँक-29.06.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार	500	500	409241	1425002	
24	2801(C) दिनाँक-28.06.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, देहरादून	1400	1400	409354	3990006	
25	2803(A) दिनाँक-29.06.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी,हल्द्वानी/नैनीताल	322	322	409359	917701	
26	2805(C) दिनाँक-29.06.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार	2500	2500	409262	7125011	
27	2804(A) दिनाँक-29.06.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, वागेश्वर	801	801	409263	2282854	

28	2799(A) दिनाँक-29.06.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी,पिथौरागढ़	651	651	409272	1855353	
29	2805(C) दिनाँक-29.06.2016	श्रम प्रवर्तन अधिकारी, चमोली	5000	1000	409273	2850005	
		श्रम प्रवर्तन अधिकारी, कोटद्वार		500	409274	1425002	
		श्रम प्रवर्तन अधिकारी, देहरादून		500	409275	1425002	
	सम्पूर्ण योग		**22325**	**19325**		**55076323**	

भाग-2(अ)

प्रस्तर-05- आयकर अधिनियम के अनुसार संबन्धित फर्मों से ₹ 3.88 करोड़ की TDS की कटौती न किया जाना।

आयकर अधिनियम 1961 के नियम 194 सी (1) (i) एवं (ii) के अनुसार व्यक्तिगत प्रकरण में कुल भुगतान के सापेक्ष 1% की दर से एवं फर्म के प्रकरण में कुल भुगतान के सापेक्ष 2% की दर से टी०डी०एस की कटौती की जानी चाहिए थी।

जबकि उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कार्यालय के लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि:

1. बोर्ड स्तर पर "सिलाई मशीन एवं सोलर लालटेन", "सैनटरी नैपकीन एवं छाता", कम्बल एवं स्ट्रीट लाइट" तथा साईकिल की आपूर्ति हेतु क्रमशः दिनाँक-13-10-2018, दिनाँक-25-01-2019, दिनाँक 25-01-2019 तथा दिनाँक-22-08-2019 को ITI Ltd के साथ एम ओ यू गठित किया गया। इन एम ओ यू के सापेक्ष बोर्ड द्वारा ITI Ltd रु **98.25 करोड़** की सामग्रियों की आपूर्ति ली गई। बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों/आश्रितों को लाभान्वित करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-525/2018 दिनाँक-06 अक्टूबर 2018 साईकिल तथा टूलकिट के क्रय हेतु TCIL Ltd को नामित कर एम ओ यू गठित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। बोर्ड द्वारा साईकिल तथा टूलकिट के क्रय हेतु दिनाँक-12-10-2018 को TCIL Ltd के साथ एम ओ यू गठित किया गया। । उक्त एम ओ यू के सापेक्ष बोर्ड द्वारा TCIL Ltd से रु **46.41 करोड़** की सामग्रियों की आपूर्ति ली गई। बोर्ड द्वारा विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति हेतु दोनों संस्थाओं ITI Ltd एवं TCIL Ltd को क्रमशः **रु 98.25 करोड़ एवं रु 46.41 करोड़** का भुगतान किया गया परंतु उपरोक्त नियमानुसार ITI Ltd से **रु 196.49 लाख** तथा TCIL Ltd से **रु 92.82 लाख** की TDS की कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार दोनों संस्थाओं से रु **2.89 करोड़** की TDS की कटौती नहीं की गई।

2. निर्माण कार्यों में नियोजित निर्माण श्रमिकों को साईकिल तथा पर्वतीय क्षेत्र के निर्माण श्रमिकों अथवा उनके आश्रितों को सिलाई मशीन के वितरण हेतु कार्यालय के पत्रांक-1314/छः-94/B&OC/सि०म०/साई०/2014-15 दिनाँक-27-03-2015 के माध्यम से निविदा प्रकाशित की गई। निविदा की अनुमानित लागत रु 35.00 लाख थी तथा निविदा समिति द्वारा साईकिल आपूर्ति हेतु दुखी साइकिल स्टोर को प्रति साईकिल रु 3630/- की दर से निविदा स्वीकृत की गई थी। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त निविदा में सामग्री की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था।जबकि सम्प्रेक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त रु 35.00 लाख की अनुमानित निविदा की दरों पर ही निविदादाता दुखी साईकिल स्टोर से ही 23343 साइकिलों की आपूर्ति ₹847.71 लाख (संलग्नक-1 के अनुसार) की धनराशि भुगतान करते हुये बोर्ड द्वारा आपूर्ति ली गई। कार्यालय के पत्रांक:-2679/छः-101/BOCW/सिलाई मशीन/2015-16 दिनाँक-02-07-2015 द्वारा मै० कूमायूं स्टोर, नैनीताल को स्वीकृत की गई। निविदा की अनुमानित लागत ₹35.00 लाख थी तथा निविदा समिति द्वारा कूमायूं

स्टोर, नैनीताल को प्रति सिलाई मशीन ₹2850/- स्वीकृत की गई। यहाँ भी यह उल्लेखनीय है कि निविदा में सामग्री की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था। जबकि सम्प्रेक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त रु 35.00 लाख की अनुमानित निविदा की दरों पर ही निविदादाता मैै० कूमायूं स्टोर, नैनीताल से ही 19325 सिलाई मशीनों की आपूर्ति ₹550.76 लाख (संलग्नक-2 के अनुसार) की धनराशि भुगतान करते हुये बोर्ड द्वारा आपूर्ति ली गई। इस प्रकार दुखी साइकिल स्टोर को साइकिलों की आपूर्ति हेतु ₹847.71 लाख तथा मैै० कुमायूं स्टोर को सिलाई मशीनों की आपूर्ति हेतु ₹550.76 लाख का भुगतान किया गया परंतु उपरोक्त नियमानुसार दुखी साइकिल स्टोर से ₹8.47 लाख तथा मैै० कुमायूं स्टोर से ₹11.02 लाख की TDS की कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार दोनों फ़र्मों से **₹19.49 लाख** की TDS कटौती नहीं की गई।

3. निर्माण कार्यों में नियोजित निर्माण श्रमिकों को टूलकिट के वितरण हेतु कार्यालय के पत्रांक-2228/छः-101/103/BOCW/टू०/स०म०नि०/2015-16 दिनाँक-03.06.2015 के माध्यम से निविदा आमंत्रित की गई। निविदा की अनुमानित लागत ₹50.00 लाख थी। प्राप्त निविदाओं में न्यूनतम निविदा दरों के आधार पर निविदा समिति द्वारा महक आयरन स्टोर को लेबर किट, राजमिस्त्री एवं बेल्डर किट हेतु क्रमशः ₹3039/- प्रति किट, ₹5005/- प्रति किट एवं ₹8991/-प्रति किट तथा श्री केमिकल्स को प्लम्बर किट, कारपेंटर किट एवं इलेक्ट्रिसियन किट हेतु क्रमशः ₹6980/- प्रति किट, ₹7695/- प्रति किट एवं ₹5005/-प्रति किट स्वीकृत की गई। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उक्त निविदा में सामग्री की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था।जबकि सम्प्रेक्षा के दौरान पाया गया कि उक्त ₹50.00 लाख की अनुमानित निविदा की दरों पर ही निविदादाता महक आयरन स्टोर एवं श्री केमिकल्स से से ही क्रमशः 31515 एवं 8298 टूलकिटों की आपूर्ति हेतु **₹1107.69 लाख** एवं **₹579.76 लाख** की धनराशि भुगतान करते हुये बोर्ड द्वारा आपूर्ति ली गई। परंतु उपरोक्त नियमानुसार महक आयरन स्टोर से ₹11.08 लाख तथा श्री केमिकल्स से ₹5.80 लाख की TDS की कटौती नहीं की गई है। इस प्रकार **₹16.88 लाख** की TDS कटौती नहीं की गई। बोर्ड कार्यालय द्वारा ITI Ltd से क्रय किए गए राशन से संबन्धित उपलब्ध कराये गए अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-2187/2020, दिनाँक-08 मई, 2020 के अनुसार निर्माण श्रीमिकों को **राशन-किट**[2] का क्रय एवं उसे डोर-टू-डोर वितरण किए जाने हेतु ITI Ltd को नामित कर दिनाँक-12.05.2020 को MOU गठित किया गया जबकि बोर्ड कार्यालय द्वारा **₹ 44.23 करोड़ (प्रारूप-1 व 02 के अनुसार)** की राशन किट के क्रय एवं वितरण/रख-रखाव पर व्यय किया गया। बोर्ड कार्यालय द्वार कुल भुगतान के सापेक्ष धनराशि रु 31.20 करोड़ पर 2% की दर से टी डी एस की **रु 62.39 लाख** की कटौती भी नहीं की गयी थी।

उक्त विसंगति के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया कि तत्कालीन सचिव बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है। इकाई का उत्तर कहीं से भी मान्य नहीं है क्योंकि तत्कालीन

[2] Wheat flour-5 kg, rice-3 kg, dal-1 kg, oil-1 kg, salt-1 kg, sugar-1 kg, tea pack-250gm, sabji masala-200gm, bhuna chana-500gm, haldi-200gm, soap-1nos, detergent cake-1nos, face mask-5nos, sanitizer gel-02 nos (100ml)

सचिव से विषयगत प्रकरण में आख्या प्राप्त करना बोर्ड का आन्तरिक मामला है, जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तरालेख प्रदान करना वर्तमान बोर्ड सचिव का शासकीय दायित्व है। इस प्रकार वर्तमान बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख उपलब्ध न कराया जाना लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति बोर्ड की स्वीकारोक्ति है।

अतः आयकर अधिनियम के अनुसार **₹3.88 करोड़(₹2.89 करोड़+₹19.49 लाख+₹16.88 लाख+₹62.39 लाख)** की TDS की कटौती न किए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(अ)

प्रस्तर-06: शासनादेश के विपरीत ₹188.89 करोड़ की सामग्रियों की आपूर्ति लिए जाने के परिणामस्वरूप सेंटेज़ के रूप में ₹10.23 करोड़ का परिहार्य व्यय।

उत्तराखण्ड के शासन के शासनादेश संख्या-18(1)/XXXIV/2016-17/2015 दिनाँक-15 जनवरी 2016 के **बिन्दु संख्या-(1)** के अनुसार राज्य में सूचना प्रौद्यगिकी से संबन्धित कार्य कार्यदायी संस्थाओं से कराते हुये दूरसंचार एवं प्रौद्यगिकी क्षेत्र में भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों में ITI Ltd, Central Electronics Ltd, Millennium Telecom Ltd एवं Telecommunications Consultant India Ltd.उपक्रमों को सूचीबद्ध किया गया था।

उक्त शासनादेश के **बिन्दु संख्या-(2) के अनुसार** राज्य के विभिन्न विभागों में सूचना प्रौद्यगिकी के अन्तर्गनिम्नानुसार कार्य कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराये जाने थे-

I. राज्य के मुख्यालय, विभिन्न विभागों, महत्वपूर्ण संस्थाओं , विभागाध्यक्ष कार्यालयों, जनपद एवं तहसील व ब्लाक मुख्यालयों में वीडियो कान्फ्रेंसिंग स्थापना कार्य।

II. विभाग के कार्यों के सम्पादन हेतु सॉफ्टवेयर का विकास।

III. उक्त के अतिरिक्त सूचना प्रौद्यगिकी के अन्तर्गत ढांचागत विकास से संबन्धित कार्य।

बोर्ड कार्यालय द्वारा ITI Ltd एवं TCIL Ltd से कराई गई आपूर्ति से संबन्धित लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि:-

1. बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों/आश्रितों को लाभान्वित करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-536/2018 दिनाँक-11 अक्टूबर 2018, संख्या-75/2018 दिनाँक-23 जनवरी 2019एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-1160/2019 दिनाँक-19 अगस्त 2019के द्वारा "सिलाई मशीन एवं सोलर लालटेन", "सैनटरी नैपकीनएवं छाता" तथा साईकिल की आपूर्ति हेतु ITI Ltd को नामित कर एम ओ यू गठित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।उक्त के अनुपालन में बोर्ड स्तर पर "सिलाई मशीन एवं सोलर लालटेन", "सैनटरी नैपकीनएवं छाता", कम्बल एवं स्ट्रीट लाइट" तथा साईकिल की आपूर्ति हेतु क्रमशः दिनाँक-13-10-2018, दिनाँक-25-01-2019, दिनाँक-25-01-2019 तथा दिनाँक-22-08-2019 को ITI Ltd के साथ एम ओ यू गठित किया गया। एम ओ यू के बिन्दु संख्या-6 के अनुसार सामग्रियों की अधिप्राप्ति हेतु ITI Ltd के द्वारा निविदा की जानी थी तथा नोडल एजेन्सी(ITI Ltd) द्वारा न्यूनतम दर निर्धारित की जानी थी तथा ITI Ltd को न्यूनतम दर के साथ 7% सेंटेज + जीएसटी का भुगतान किया जाना था। **संलग्नक-1** में वर्णित सामग्रियों की आपूर्ति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार स्वयं बोर्ड द्वारा न कर उक्त संस्था के माध्यम से किया गया जिस हेतु सामग्री दर के साथ 7% सेंटेज + जीएसटी सहित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया गया। जबकि उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित सूचना प्रौद्यगिकी से संबन्धित कार्य ही इन कार्यदायी संस्थाओं से कराये जाने थे। परन्तु बोर्ड कार्यालय द्वारा विषयगत शासनादेश में उल्लिखित कार्यों से भिन्न कार्य उक्त कार्यदायी संस्था से करवाते हुए **₹98.25 करोड़(संलग्नक-1 के अनुसार)** की धनराशि की सामग्रियों की आपूर्ति ली गई। जिसके

परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा ITI Ltd को सेंटेज़ के रूप में **₹6.43 करोड़(सेंटेज़-₹ 592.98 लाख+ सेंटेज पर भारित जी एस टी-₹49.70 लाख)(संलग्नक-1 के अनुसार)** का बोर्ड द्वारा भुगतान किया गया।

2. बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों/आश्रितों को लाभान्वित करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-525/2018 दिनाँक-06 अक्टूबर 2018 साईकिल तथा टूलकिट के क्रय हेतु TCIL Ltd को नामित कर एम ओ यू गठित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। बोर्ड द्वारा साईकिल तथा टूलकिट के क्रय हेतु दिनाँक-12-10-2018 को TCIL Ltd के साथ एम ओ यू गठित किया गया। एम ओ यू के बिन्दु संख्या-6 के अनुसार सामग्रियों की अधिप्राप्ति हेतु TCIL Ltd के द्वारा निविदा की जानी थी तथा प्राप्त निविदाओं में TCIL Ltd द्वारा न्यूनतम निविदादाता की निविदा स्वीकृत की जानी थी। बिन्दु संख्या-09 के अनुसार वित्तीय शर्तों पर टूलकिट एवं साईकिल की मात्रा एवं विवरण के आधार पर आपसी सहमति बनाई जानी थी। जिसके अनुसार TCIL Ltd को न्यूनतम दर के साथ 3% सर्विस चार्ज + जीएसटी का भुगतान निश्चित किया गया। **संलग्नक-2** में वर्णित सामग्रियों की आपूर्ति उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार स्वयं बोर्ड द्वारा न कर TCIL Ltd के माध्यम से किया गया, जिस हेतु सामग्री दर के साथ 3% सर्विस चार्ज + जीएसटी सहित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया गया। जबकि उपरोक्त शासनादेश में उल्लिखित सूचना प्रौद्यगिकी से संबन्धित कार्य ही इन कार्यदायी संस्थाओं से कराये जाने थे। परन्तु बोर्ड कार्यालय द्वारा विषयगत शासनादेश में उल्लिखित कार्यों से भिन्न कार्य उक्त कार्यदायी संस्था से करवाते हुए **₹46.41 करोड़(संलग्नक-2 के अनुसार)** की समग्रियों की आपूर्ति ली गई। जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा TCI Ltd को सर्विस चार्ज के रूप में **₹1.35 करोड़(सर्विस चार्ज-₹116.30लाख+सर्विस चार्ज पर जी.एस.टी.:-₹18.87 लाख)(संलग्नक-2 के अनुसार)** का बोर्ड द्वारा भुगतान किया गया।

3. बोर्ड कार्यालय द्वारा ITI Ltd से क्रय किए गए राशन से संबन्धित उपलब्ध कराये गए अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-2187/2020, दिनाँक-08 मई, 2020 के अनुसार निर्माण श्रीमिकों को **राशन-किट**[3] का क्रय एवं उसे डोर-टू-डोर वितरण किए जाने हेतु ITI Ltd को नामित कर दिनाँक-12.05.2020 को MOU गठित किया गया। MOU के बिन्दु संख्या-7 के अनुसार सामग्रियों की अधिप्राप्ति हेतु ITI Ltd के द्वारा निविदा की जाएगी(निविदा के पश्चात L1 फर्म M/s Bharat traders and suppliers, Lucknow) तथा नोडल एजेन्सी(ITI Ltd) द्वारा न्यूनतम दर निर्धारित की जाएगी तथा ITI Ltd को न्यूनतम दर के साथ अधिप्राप्ति पर 7% सेंटेज + जीएसटी का भुगतान किया जाना था। प्रारूप-1 व 2 में वर्णित सामग्रियों का क्रय एवं उसका रख-रखाव/वितरण उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार स्वयं बोर्ड द्वारा न कर उक्त संस्था के माध्यम से किया गया, जिस हेतु सामग्री दर के साथ 7% सेंटेज + जीएसटी सहित कार्यदायी संस्था को भुगतान किया गया। जबकि उपरोक्त शासनादेश के अनुसार ITI Ltd कार्यदायी संस्था से सूचना प्रौद्यगिकी से संबन्धित कार्य एवं बिन्दु संख्या-2 में

[3] Wheat flour-5 kg, rice-3 kg, dal-1 kg, oil-1 kg, salt-1 kg, sugar-1 kg, tea pack-250gm, sabji masala-200gm, bhuna chana-500gm, haldi-200gm, soap-1nos, detergent cake-1nos, face mask-5nos, sanitizer gel-02 nos (100ml)

उल्लेखित कार्य कराये जाने थे। जबकि बोर्ड कार्यालय द्वारा विषयगत शासनादेश के विपरीत **₹ 44.23 करोड़ (प्रारूप-1 व 02 के अनुसार)** का राशन किट का क्रय एवं वितरण/रख-रखाव पर व्यय किया गया। जिसके परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा ITI Ltd को सेंटेज़ के रूप में **₹ 2.45** करोड़ **[**सेंटेज़ : रु 1.73 करोड़ (प्रारूप-01) + रु 0.72 करोड़ (प्रारूप-02) के अनुसार**]** का बोर्ड द्वारा भुगतान किया गया।

उपरोक्त विसंगति के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि तत्कालीन सचिव बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है। इकाई का उत्तर कहीं से भी मान्य नहीं है क्योंकि तत्कालीन सचिव से विषयगत प्रकरण में आख्या प्राप्त करना बोर्ड का आन्तरिक मामला है, जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तरालेख प्रदान करना वर्तमान बोर्ड सचिव का शासकीय दायित्व है। इस प्रकार वर्तमान बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख उपलब्ध न कराया जाना लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति बोर्ड की स्वीकारोक्ति है।

अतः शासनादेश में उल्लिखित कार्यों से भिन्न **₹188.89 करोड़(₹98.25 करोड़+₹46.41 करोड़+ ₹44.23 करोड़)** की सामग्रियों की अधिप्राप्ति किए जाने के परिणामस्वरूप **₹10.23 करोड़(₹6.43 करोड़+₹1.35 करोड़+₹2.45 करोड़)** का सेंटेज़ के रूप में परिहार्य व्यय किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-1

क्र.सं.	सामग्री का विवरण	आपूर्ति की गई मात्रा	ITI द्वारा निर्धारित मूल्य	सेंटेज(7%)	जीएसटी	प्रति इकाई कुल मूल्य	कुल भुगतानित धनराशि	सेंटेजकी भुगतानित धनराशि	सेंटेज पर भारित जीएसटी सहित भुगतानित धनराशि
1	सिलाई मशीन	78125	3585	250.95	460.31	4296.264	335645625	19605469	21958125
2	सोलर लालटेन	50000	2640	184.8	141.24	2966.04	148302000	9240000	9702000
3	सैनेटरी नैपकीन	19999872	5.975	0.418	Nil	6.393	127859181.7	8359946.5	8359946.5
4	कम्बल	45000	1245	87.15	159.86	1492.01	67140450	3921750	4392360
5	छाता	100000	358	25.06	19.15	402.21	42902720	2506000	2806720
6	साईकिल	33750	3385	236.95	434.63	4056.58	136909575	7997062.5	8956710
	साईकिल आपूर्ति हेतु लौजिस्टिक्स	33750	250	17.5	32.10	299.6	10111500	590625	661500
7	सोलर लाइट	4000	25275	1769.25	1352.21	28396.46	113585840	7077000	7430850
	कुल योग						**982456891.7**	**59297853**	**64268211**

*क्र॰सं॰ -1,4,5 एवं 6 में जीएसटी दर 12%

**क्र॰सं॰- 2 एवं 7 में जीएसटी दर 5% एवं क्र॰सं॰-3 में जीएसटी दर शून्य

संलग्नक-2

क्र.सं.	**सामग्री का विवरण**	**आपूर्ति की गई मात्रा**	**TCIL द्वारा निर्धारित मूल्य**	**सर्विस चार्ज(3%)**	**जीएसटी**	**प्रति इकाई कुल मूल्य**	**कुल भुगतानित धनराशि**	**सर्विसचार्ज की भुगतानित धनराशि**	**सर्विसचार्ज पर भारित जीएसटी सहित भुगतानित धनराशि**
1	साइकिल	38560	2963.393	88.902	366.275	3418.57	131820059	3428061	3839428
	टूलकिट								
2	प्लम्बर	2000	8460	253.8	1568.484	10282.28	20564568	507600	598968
3	इलेक्ट्रिसियन	4000	8470	254.1	1570.338	10294.44	41177752	1016400	1199352
4	मेसन	10000	7360	220.8	1364.544	8945.344	89453440	2208000	2605440
5	मजदूर	14000	4590	137.7	850.986	5578.686	78101604	1927800	2274804
6	पेंटर	1000	5130	153.9	951.102	6235.002	6235002	153900	181602
7	कार्पेंटर	8000	9950	298.5	1844.73	12093.23	96745840	2388000	2817840
							464098265	**11629761**	**13517434**

*क्र.सं. 1 की जीएसटी दर 12% एवं क्र.सं. 2 से 7 की जीएसटी दर 18%

**क्र.सं. 2 से 7 की कुल धनराशि का ₹ 5149025/- का भुगतान रोका गया है।

भाग-2(अ)

प्रस्तर-07: साईकिल आपूर्ति हेतु दो संस्थानों से अनुबन्ध किया जाना तथा न्यूनतम अनुबन्ध दर से क्रय न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹3.16 करोड़ का परिहार्य व्यय।

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कार्यालय के लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि:

बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों/आश्रितों को लाभान्वित करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-525/2018 दिनाँक-06 अक्टूबर 2018 साईकिल तथा टूलकिट के क्रय हेतु TCIL Ltd को नामित कर एम ओ यू गठित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। बोर्ड द्वारा साईकिल तथा टूलकिट के क्रय हेतु दिनाँक-12-10-2018 को TCIL Ltd के साथ एम ओ यू गठित किया गया। एम ओ यू के बिन्दु संख्या-1(g) के अनुसार "The validity of the agreement is 36 months from the date of commencement of the contractual obligation." बोर्ड के पत्रांक:- 744/छः-111/बी०ए०ओ०सी०डबल्यू०/2018-19 दिनाँक-01.12.2018 द्वारा TCIL Ltd को अवगत कराया गया कि सर्विस चार्ज 3 प्रतिशत निश्चित किया गया। TCIL Ltd द्वारा दिनाँक-01.03.2019 को साईकिल हेतु निर्धारित दर ₹2,963.393 प्रति साइकल की दर से अवगत कराया गया। जिसके अनुसार 3% सर्विस चार्ज एवं 12% जीएसटी सम्मिलित करते हुये प्रति साईकिल दर **₹3418.58** निर्धारित हुई। इस दर पर बोर्ड द्वारा TCIL Ltd से 38560 साईकिलों की आपूर्ति ली गई।

इसी क्रम में बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों/आश्रितों को लाभान्वित करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या-536/2018 दिनाँक 19/08/2018 साईकिल की आपूर्ति हेतु ITI Ltd को नामित कर एम ओ यू गठित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अनुपालन में बोर्ड स्तर पर साईकिल की आपूर्ति हेतु दिनाँक 22-08-2019 को ITI Ltd के साथ एम ओ यू गठित किया गया। जिसके क्रम में ITI Ltd द्वारा दिनाँक-31.10.2019 को प्रति साईकिल निर्धारित दर **₹4355.12**((UnitRate)₹3385.00+(Logistics)₹250+254.45(Centage@7%)+466.62(GST@12%)) से अवगत कराया गया। बोर्ड द्वारा ITI Ltd द्वारा निर्धारित दर से 33,750 साइकिलों का क्रय किया गया। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि साईकिल का क्रय TCIL Ltd या ITI Ltd से नहीं किया जाना चाहिए था, यदि इनमें से किसी संस्था से क्रय किया गया तो न्यूनतम दर पर क्रय किया जाना चाहिए था। चूंकि TCIL Ltd से किया गया एमओयू उक्त तिथि में वैध था तथा यह क्रय ITI Ltd के स्थान पर TCIL Ltd से किया जा सकता था। जबकि बोर्ड द्वारा यह क्रय ITI Ltd से किया गया जिसके परिणामस्वरूप **₹3.16 करोड़((₹4356.18-₹3418.58)*33750)** का अधिक व्यय हुआ।

उक्त विसंगति के सन्दर्भ में इकाई द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि तत्कालीन सचिव बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है। इकाई का उत्तर कहीं से भी मान्य नहीं है क्योंकि तत्कालीन सचिव से विषयगत प्रकरण में आख्या प्राप्त करना बोर्ड का आन्तरिक मामला है, जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तरालेख प्रदान करना वर्तमान बोर्ड सचिव का शासकीय दायित्व है। इस प्रकार वर्तमान बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख उपलब्ध न कराया जाना लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति बोर्ड की स्वीकारोक्ति है।

अतः साईकिल आपूर्ति हेतु दो संस्थानों से अनुबन्ध किया जाना तथा न्यूनतम अनुबन्ध दर से क्रय न किए जाने के परिणामस्वरूप **₹3.16 करोड़** का परिहार्य व्यय किए जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2(अ)

प्रस्तर 08:- उत्तराखण्ड शासनादेश के प्रतिकूल निर्माण श्रमिकों की आश्रित पुत्रियों एवं पंजीकृत महिला सदस्य के स्वयं के विवाहोपरान्त, आर्थिक सहायता के रूप मे धनराशि रु 15.15 करोड़ का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया जाना।

1- उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम 2005 के **नियम-282** के अनुसार एसे पंजीकृत कर्मकारों जो निरन्तर तीन वर्ष से सदस्य थे, उनके दो संतान एवं निधि की महिला सदस्य के स्वयं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता रु 2000/- निर्धारित थी।

2- जिसे अग्रेतर उत्तराखण्ड शासन श्रम एवं सेवायोजन विभाग संख्या 1681/VIII/11-680(श्रम)/2002, देहरादून, दिनांक: 12, दिसम्बर 2011 (अधिसूचना) द्वारा एसे पंजीकृत कर्मकारों जो निरन्तर एक वर्ष से सदस्य है उनकी आश्रित दो पुत्रियों एवं निधि की महिला सदस्य के स्वयं के विवाह हेतु धनराशि को बढ़ाकर रु 11,000/- तथा संख्या /VIII/13-680(श्रम)/2002, देहरादून, दिनांक: 24 जून, 2013 (अधिसूचना) द्वारा एसे निर्माण कर्मकार जिन्होने पंजीकरण के उपरान्त तीन माह की सदस्यता अवधि पूर्ण कर ली हो, उनकी पुत्रियों के विवाह हेतु आर्थिक सहायता धनराशि को पुन: बढ़ाकर रु 51,000/- किया गया था।

3- इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम-2005 के **नियम-291** मे स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि एक्ट एवं नियमों मे इंगित उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों पर व्यय बिना शासन के पूर्वानुमोदन के नहीं किया जाएगा। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम 1996 (ACT NO. 27 OF 1996) के नियम-22(Functions of the Boards) के बिन्दु (1-h) के अनुसार ***make provision and improvement of such other welfare measures and facilities as may be prescribed[4] वर्णित था।***

उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच के दौरान पाया गया कि विभिन्न जिलो के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा निर्माण कर्मकारों की आश्रित पुत्रियों एवं निधि की महिला सदस्य(स्वयं) के विवाहोपरान्त आर्थिक सहायता से संबन्धित प्रेषित आवेदन-पत्रों के सापेक्ष बोर्ड स्तर से अवधि 04/2015 से 10/2020 तक उपरोक्त उल्लेखित नियमो के विपरीत शासन के पूर्वानुमोदन बिना योजना के दिशा निर्देशो की अनदेखी करते हुये 3091-लाभार्थि निर्माण श्रमिकों की आश्रित पुत्रियों एवं पंजीकृत महिला सदस्य के स्वयं के विवाह हेतु आर्थिक सहायता के रूप मे धनराशि रु 15.15 करोड़ का उत्तराखण्ड शासन अधिसूचना के **नियम-282** मे संशोधन कराये बिना ही बोर्ड कार्यालय द्वारा देय धनराशि से अधिक धनराशि का निम्न प्रारूपानुसार लाभार्थियों को भुगतान किया गया था-

[4] As per aforesaid **Act of 2(m)** “**prescribed**” means prescribed by rule made under this act by the Central Government or, as the case may be, the State Government.

क्रमांक	जिले का नाम	लाभार्थीयों की संख्या	कुल देय धनराशि @ रु51,000/- (रु)	कुल प्रदत धनराशि @ रु1,00,000/- (रु)	अधिक भुगतानित धनराशि (रु)
1	देहरादून	490	2,49,90,000.00	4,90,000,00.00	2,40,10,000.00
2	पौड़ी	272	1,38,72,000.00	2,72,00000.00	1,33,28,000.00
3	रुद्रप्रयाग	216	1,10,16,000.00	2,16,00000.00	1,05,84,000.00
4	अल्मोड़ा	219	1,11,69,000.00	2,19,00000.00	1,07,31,000.00
5	चमोली	330	1,68,30,000.00	3,30,00,000.00	1,61,70,000.00
6	उत्तरकाशी	16	8,16,000.00	16,00000.00	7,84,000.00
7	नैनीताल	7	3,57,000.00	7,00000.00	3,43,000.00
8	उधमसिंह नगर	532	2,71,32,000.00	5,32,00,000.00	2,60,68,000.00
9	हरिद्वार	679	3,46,29,000.00	6,79,00,000.00	3,32,71,000.00
10	चम्पावत	45	22,95,000.00	45,00000.00	22,05,000.00
11	बागेश्वर	59	30,09,000.00	59,00000.00	28,91,000.00
12	टिहरी	226	1,15,26,000.00	2,26,00000.00	1,10,74,000.00
कुल योग		**3091**	**15,76,41,000.00**	**30,91,00,000.00**	**15,14,59,000.00**

इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट था कि यदि बोर्ड स्तर से अधिक भुगतानित धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाता तो उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून के 2970-अतिरिक्त श्रमिक पात्र लाभार्थी अधिक भुगतानित धनराशि से सीधे तौर पर लाभान्वित हो सकते थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये स्पष्ट किया कि तत्कालीन सचिव बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि तत्कालीन सचिव से विषयगत प्रकरण मे आख्या प्राप्त करना बोर्ड का आन्तरिक मामला है जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख प्रदान करना वर्तमान बोर्ड सचिव का शासकीय दायित्व है। इस प्रकार बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख उपलब्ध न कराया जाना लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति बोर्ड की स्वीकारोक्ति है।

अत: उत्तराखण्ड शासनादेश के प्रतिकूल निर्माण श्रमिकों की आश्रित पुत्रियों एवं पंजीकृत महिला सदस्य के स्वयं के विवाहोपरान्त, आर्थिक सहायता के रूप मे धनराशि रु 15.15 करोड़ का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग- 2(अ)

प्रस्तर:-09- उत्तराखण्ड शासनादेश के प्रतिकूल निर्माण श्रमिक सदस्यों के मृतयोपरांत, उनके नामितों/आश्रितों को आर्थिक सहायता के रूप मे धनराशि रु 4.12 करोड़ का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किया जाना।

1- उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम-2005 के **नियम-277** के अनुसार, मृतक सदस्य के नामितों/आश्रितों को अन्त्येष्टि संस्कार खर्च के लिए रु 1000/- एवं **नियम-278** के अनुसार पंजीकृत कर्मकारों के मृतयोपरांत उनके आश्रितों/नामितों को सदस्य की स्वाभाविक मृत्यु पर रु 15,000/- एवं नियोजन के दौरान घटित दुर्घटना के कारण मृत्यु पर रु 50,000/- आर्थिक सहायता निर्धारित थी।

2- जिसे उत्तराखण्ड शासन श्रम एवं सेवायोजन विभाग संख्या: 1681/VIII/11-680(श्रम)/2002, देहरादून, 12 दिसम्बर 2011 (अधिसूचना) द्वारा अन्त्येष्टि संस्कार खर्च को रु 2000/- एवं मृत्यु सुविधा धनराशि को बढ़ाकर क्रमश: रु 50,000/-(स्वाभाविक) व रु 1.00 लाख(दुर्घटना) तथा अग्रेतर अधिसूचना /VIII/13-680(श्रम)/2002, देहरादून, 24 जून, 2013 द्वारा अन्त्येष्टि संस्कार खर्च के लिए रु 5000/- किया गया था। पुनः संशोधित अधिसूचना संख्या /VIII/16-680(श्रम)टीसी/2002, देहरादून, 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा अन्त्येष्टि संस्कार खर्च को रु 10,000/- एवं मृत्यु सहायता धनराशि को बढ़ाकर क्रमश: रु 2.00 लाख(स्वाभाविक) व रु 5.00 लाख(दुर्घटना) किया गया था।

3- उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम-2005 के **नियम-291** मे स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि एक्ट एवं नियमों मे इंगित उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों पर व्यय बिना शासन के पूर्वानुमोदन के नहीं किया जाएगा एवं भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम 1996 (ACT NO. 27 OF 1996) के नियम-22(Functions of the Boards) के बिन्दु (1-h) के अनुसार ***make provision and improvement of such other welfare measures and facilities as may be prescribed***[5] ***वर्णित था।***

उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच के दौरान पाया गया कि विभिन्न जिलो के श्रम प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मृतयोपरांत, उनके नामितों/आश्रितों को मिलने वाली आर्थिक सहायता से संबन्धित प्रेषित आवेदन-पत्रों के सापेक्ष बोर्ड स्तर से अवधि 04/2015 से 10/2020 तक उपरोक्त उल्लेखित नियमो के विपरीत शासन से **नियम-277 एवं 278** मे संशोधन कराये बिना ही संलग्न प्रारूप (**तालिका-01 एवं तालिका-02**) के अनुसार लाभार्थियों को देय धनराशि से अधिक धनराशि प्रदत्त की गयी थी।

संलग्न विवरण(तालिका-01 एवं तालिका-02) से स्पष्ट था कि योजना के दिशा निर्देशो की अनदेखी करते हुये 406-लाभार्थि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के मृतयोपरांत, उनके नामितों/आश्रितों को

---

[5] As per aforesaid **Act of 2(m)** "**prescribed**" means prescribed by rule made under this act by the Central Government or, as the case may be, the State Government.

आर्थिक सहायता के रूप मे धनराशि(रु 3,94,00,000.00 + रु 18,45,000.00) = रु 4.12 करोड़ का शासन के पूर्वानुमोदन बिना ही बोर्ड कार्यालय द्वारा देय धनराशि से अधिक धनराशि का भुगतान किया गया था।

इस प्रकार उपरोक्त से स्पष्ट था कि यदि बोर्ड स्तर से अधिक भुगतानित धनराशि का नियमानुसार उपयोग किया जाता तो बोर्ड मे पंजीकृत 218-अतिरिक्त श्रमिक पात्र लाभार्थी अधिक भुगतानित धनराशि से सीधे तौर पर लाभान्वित हो सकते थे।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये स्पष्ट किया कि तत्कालीन सचिव बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि तत्कालीन सचिव से विषयगत प्रकरण मे आख्या प्राप्त करना बोर्ड का आन्तरिक मामला है जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख प्रदान करना वर्तमान बोर्ड सचिव का शासकीय दायित्व है। इस प्रकार बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख उपलब्ध न कराया जाना लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति बोर्ड की स्वीकारोक्ति है।

अत: उत्तराखण्ड शासनादेश के प्रतिकूल निर्माण श्रमिक सदस्यों के मृतयोपरांत, उनके नामितों/आश्रितों को आर्थिक सहायता के रूप मे धनराशि रु 4.12 करोड़ का अनियमित रूप से अधिक भुगतान किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

(संलग्नक)

(तालिका-01)

क्र० सं०	जिले का नाम	लाभार्थीयों की संख्या	स्वाभाविक मृत्यु हेतु कुल देय धनराशि @ रु2.00 लाख (रु)	स्वाभाविक मृत्यु हेतु कुल प्रदत धनराशि @ रु3.00 लाख (रु)	स्वाभाविक मृत्यु हेतु अधिक भुगतानित कुल धनराशि (रु)
1	देहरादून	125	2,50,00,000.00	3,75,00,000.00	1,25,00,000.00
2	पौड़ी	18	36,00,000.00	54,00,000.00	18,00,000.00
3	रुद्रप्रयाग	9	18,00,000.00	27,00,000.00	9,00,000.00
4	अल्मोड़ा	10	20,00,000.00	30,00,000.00	10,00,000.00
5	उत्तरकाशी	2	4,00,000.00	6,00,000.00	2,00,000.00
6	नैनीताल	5	10,00,000.00	1500000.00	500000.00
7	उधमसिंह नगर	55	1,10,00,000.00	1,65,00,000.00	55,00,000.00
8	हरिद्वार	162	3,24,00,000.00	4,86,00,000.00	1,62,00,000.00
9	पिथौरागढ़	1	2,00,000.00	3,00,000.00	1,00,000.00
10	चम्पावत	2	4,00,000.00	6,00,000.00	2,00,000.00
11	बागेश्वर	5	10,00,000.00	15,00,000.00	5,00,000.00
कुल योग		**394**	**7,88,00,000.00**	**11,82,00,000.00**	**3,94,00,000.00**

(तालिका-02)

क्रमांक	जिले का नाम	लाभार्थीयों की संख्या	अन्त्येष्टि[6] एवं स्वाभाविक[7] मृत्यु हेतु कुल देय धनराशि @ रु55,000/- (रु)	अन्त्येष्टि एवं स्वाभाविक मृत्यु हेतु प्रदत्त कुल धनराशि @ रु2,10,000/- (रु)	अन्त्येष्टि एवं स्वाभाविक मृत्यु हेतु कुल भुगतनित अधिक धनराशि (रु)
1	चमोली	01	55,000.00	2,10,000.00	1,55,000.00
2	उधमसिंह नगर	07	3,85,000.00	14,70,000.00	10,85,000.00
3	बागेश्वर	01	55,000.00	2,10,000.00	1,55,000.00
4	पौड़ी[8]	03	1,50,000.00	6,00,000.00	4,50,000.00
कुल योग		12	**6,45,000.00**	**24,90,000.00**	**18,45,000.00**

तालिका-02 के लिए

[6] अन्त्येष्टि हेतु देय धनराशि @ रु 5,000/-

[7] स्वाभाविक मृत्यु हेतु देय धनराशि @ रु 50,000/-

[8] पौड़ी जिले का अन्त्येष्टि धनराशि का विवरण प्रस्तुत पत्रावली मे नहीं पाया गया।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर-10 उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत उपनल/पी आर डी/संविदा के माध्यम से सेवायोजित किए गए कर्मचारियों पर `114.57 लाख का अनियमित व्यय।

उतराखंड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कार्यालय के अंतर्गत उपनल/पी आर डी/संविदा के माध्यम से सेवायोजित किए गए कर्मचारियों से संबन्धित पत्रावालियों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि बोर्ड कार्यालय के संचालन हेतु शासन के पत्रांक-113/VIII/11-680 (श्रम)/2002 टी सी/दिनांक-03.02.2011 के द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिकों के पंजीकरण केन्द्रों के लिए 18 समूह ग के कार्मिकों को आउटसोर्सिंग के माध्यम से लिए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

जबकि संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि नवंबर 2011 से अक्तूबर 2020 की अवधि में भिन्न-भिन्न अवधियों में बोर्ड कार्यालय स्तर पर उक्त 18 समूह ग के कार्मिकों (डाटा एंट्री आपरेटर्स) के सापेक्ष संलग्न अनुलग्नक “अ” के अनुसार निम्नानुसार 65 कार्मिक संविदा पर रखे गए:

- डाटा एंट्री आपरेटर्स-36, 2. अपर कार्याधिकारी-01, 3. समन्वयक-01, 4.चिकित्साधिकारी-01, 5. फार्मेसिस्ट-01, 6. वाहन चालक-09, 7. अनुसेवक-15 एवं 8. गार्ड-01

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि बोर्ड स्तर पर उक्त शासनादेश के निर्देशों के विपरीत भिन्न-भिन्न अवधियों में 18 समूह ग के कार्मिकों के सापेक्ष 65 कार्मिक संविदा पर रखते हुए अनुलग्नक ‘अ’ के अनुसार ` 227.01 लाख का परिश्रमिक भुगतान किया गया। जबकि उतराखंड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियम, 2005 के नियम-291 में स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि एक्ट एवं नियमों में इंगित उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों पर व्यय बिना शासन के पूर्वानुमोदन के नहीं किया जाएगा।

इस प्रकार उक्त भुगतानित धनराशि में से भिन्न-भिन्न अवधियों में बोर्ड कार्यालय स्तर पर उक्त 18 समूह ग के कार्मिकों (डाटा एंट्री आपरेटर्स) से अधिक संविदा पर रखे गए कार्मिकों के संबंध में शासन स्तर से पूर्वानुमोदन न लेने के परिणामस्वरूप ` 114.57 लाख का अनियमित भुगतान किया गया। उक्त के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि विषयगत प्रकरण में तत्कालीन सचिव, बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है, आख्या प्राप्त होने पर कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहरादून को सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। भविष्य में शासन के पूर्वानुमोदन के पश्चात ही आउटसोर्स कार्मिकों को बोर्ड के कार्य हेतु रखा जाएगा।

इकाई का यह कथन कि विषयगत प्रकरण में तत्कालीन सचिव, बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है, कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं है क्योंकि तत्कालीन सचिव, बोर्ड से आख्या प्राप्त करना बोर्ड कार्यालय का आंतरिक मामला है जबकि वर्तमान बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के संबंध में उत्तरालेख दिया जाना शासकीय दायित्व था। तथापि वर्तमान बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए भविष्य में शासन के पूर्वानुमोदन के पश्चात ही आउटसोर्स कार्मिकों को बोर्ड के कार्य हेतु रखे जाने का आश्वासन दिया गया।

अतः बोर्ड कार्यालय के अंतर्गत बिना शासन के पूर्वानुमोदन के उपनल/पी आर डी/संविदा के माध्यम से सेवायोजित किए गए कर्मचारियों पर ` 114.57 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर-11 उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखंड (ई०एस०आई) को ` 20.00 करोड़ का ऋण दिये जाने के संबंध में।

उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि तत्कालीन निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखंड के द्वारा पत्रांक- ई एस आई/अ वि चि उ/64/दिनांक-7.04.2018 के माध्यम से सचिव, श्रम उत्तराखंड शासन को अवगत कराया गया कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम की क्षेत्रीय परिषद की दिनांक 18.12.2017 को सम्पन्न छठवीं बैठक में राज्य योजना के लाभार्थियों की चिकित्सा देख-रेख एवं अति विशिष्ट चिकित्सा उपचार को दृष्टिगत रखते हुए जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज एवं सुपर स्पेसियलिटी चिकित्सालय की स्थापना का निर्णय लिया गया है साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि उक्त प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा शासनादेश संख्या- 298/XXVIII(1)/2018-01(घोषणा) 2015 दिनांक-07 मार्च द्वारा श्रम विभाग उत्तराखंड (ESI) को 12.837 हेक्टेयर भूमि आवंटित कर दी गई है तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के संचालन का समस्त व्यय कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा राज्य सरकार के मध्य निर्धारित अनुपात में वहन किया जाता है तथा चिकित्सा संस्थानों के निर्माण तथा स्थापना पर होने वाले समस्त व्यय निगम द्वारा वहन किए जाते हैं, तथा व्यय की प्रतिपूर्ति निगम द्वारा राज्य सरकार को की जाती है। उक्त पत्र में यह भी सूचित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्तीय प्रावधान नहीं होने के कारण उक्त प्रयोजन हेतु निगम से आवंटन प्राप्त होने तक ` 50.00 करोड़ की धनराशि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से ऋण के रूप में उपलब्ध कराये जाने पर आवंटित भूमि पर सुपर स्पेसियलिटी चिकित्सालय निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।

निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, उत्तराखंड के द्वारा पत्रांक- ई एस आई/अ वि चि उ/64/दिनांक-7.04.2018 के तारतम्य में सचिव श्रम, उत्तराखंड शासन के पत्रांक-972/VIII/18-14(ESI)/2016/दिनांक-26 जुलाई 2018 स्पष्ट किया गया गया कि:

- राज्य सरकार द्वार मा. राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार को प्रेषित पत्र दिनांक-24.07.2018 के माध्यम से जनपद पौड़ी गढ़वाल के अंतर्गत कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज एवं सुपर स्पेसियलिटी चिकित्सालय के निर्माण हेतु धनराशि स्वीकृति के साथ ही प्रदेश को इसके निर्माण हेतु अधिकृत किए जाने हेतु अनुरोध किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) की स्वीकृति की प्रत्याशा में एवं निर्माण हेतु राज्य सरकार को अधिकृत किए जाने की प्रत्याशा में ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी इंडिया लि. को उक्त निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था नामित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
- सचिव श्रम के पत्र में यह भी निर्देशित किया गया कि उक्त योजना के निर्माण हेतु उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से ऋण के विषय में दोनों संस्थाएं (BOCW तथा ESIC/ESI)परस्पर शर्तें निर्धारित करते हुए भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम 1996 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अंतर्गत सक्षम स्तर से नियमानुसार अनुबंध निष्पादित करके अग्रेतर कार्यवाही नियमानुसार करें।

अग्रेतर, मा. श्रम मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 31 जुलाई 2020 को आयोजित बैठक जिसमें निदेशक, ई एस आई, सचिव, बी ओ सी डब्लू, मुख्य चिकित्साधिकारी, ई एस आई, एवं मुख्य

फार्मेसिस्ट, ई एस आई द्वारा प्रतिभाग किया गया। उक्त बैठक में मा. श्रम मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि श्रम अनुभाग के शासनादेश- संख्या 972/VIII/18-14(ESI)/ 2016 / दिनांक-26 जुलाई 2018 एवं शासनादेश संख्या -1026/VIII/18-14 (ESI)/2016/ दिनांक 02 अगस्त 2018 के द्वारा जो निर्देश दिये गए थे, का तत्काल बी ओ सी डब्लू एवं ई एस आई क्रियान्वयन करें जिससे कोटद्वार में सुपर स्पेसियलिटी चिकित्सालय का निर्माण किया जा सके। यह भी निर्देशित किया गया कि चूंकि ई एस आई का अपना कोई बैंक खाता नहीं है इसलिए बी ओ सी डब्लू द्वारा जारी धनराशि ` 50.00 करोड़ के चेक ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी इंडिया लि. के नाम से जारी किए जाएंगे एवं उक्त चेक ई एस आई के माध्यम से कार्यदायी संस्था को प्रदान किए जाएंगे।

उक्त बैठक में दिये गए निर्देशों के अनुपालन में सचिव, उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड एवं मुख्य चिकित्साधिकारी (प्रभारी), ई एस आई एवं मुख्य फार्मेसिस्ट ई०एस०आई के मध्य समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) दिनांक 31 जुलाई 2020 को हस्ताक्षरित किया गया तथा बोर्ड अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित भी किया गया। उक्त समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) में मुख्य शर्तें निम्नानुसार थीं:

1. ई०एस०आई योजना ई एस आई कार्पोरेशन से स्वीकृति की प्रत्याशा में धनराशि की व्यवस्था करके बी ओ सी डब्लू को तत्काल ऋण की धनराशि ब्याज रहित वापस की जाएगी।
2. ` 50.00 करोड़ की धनराशि श्रमिकों के हित में ब्याज रहित दी जा रही है।
3. ई एस आई योजना का अपना कोई बैंक खाता न होने के कारण यह धनराशि प्रदेश सरकार के द्वारा नामित कार्यदायी संस्था ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी इंडिया लि.(भारत सरकार का उपक्रम) को बी ओ सी डब्लू के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी।
4. ` 50.00 करोड़ की धनराशि को प्रथम किस्त रु० 20.00 करोड़ तथा द्वितीय एवं तृतीय किस्त रु० 15.00-15.00 करोड़ के रूप में उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने के उपरांत तथा नियमानुसार कार्यों का भौतिक सत्यापन के आधार पर निर्गत किया जाएगा।

उक्त समझौता ज्ञापन के आधार पर सचिव, उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कार्यालय, देहरादून द्वारा कार्यदायी संस्था ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी इंडिया लि. के नाम निदेशक कर्मचारी राज्य बीमा योजना कार्यालय, देहरादून को तीन चेक धनराशि ` 11.00 करोड़, ` 3.00 करोड़ एवं ` 6.00 करोड़ क्रमशः चेक संख्या 827599, 776094 एवं 918380 दिनांक 06.08.2020 को हस्तगत कराये गए।

जबकि सचिव, उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पत्रांक 2936/विविध/2020-21/ दिनांक-27 नवंबर 2020 जो सचिव श्रम, उत्तराखंड शासन को संबोधित है, में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि उक्त प्रकरण वित्त से संबन्धित है, जिस पर शासन से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में न तो वित्त विभाग से पूर्व अनुमति ली गई है तथा साथ ही भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियमन 1996 में उल्लिखित प्रावधानों के भी प्रतिकूल है।

उक्त विसंगति के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि विषयगत प्रकरण तत्कालीन बोर्ड सचिव के समय का है, इस संबंध में उनसे आख्या प्राप्त की जा रही है उत्तर प्राप्त होते ही कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड देहरादून को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि तत्कालीन बोर्ड सचिव से आख्या प्राप्त किया जाना बोर्ड कार्यालय का आंतरिक मामला है जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तरालेख दिया जाना वर्तमान बोर्ड सचिव की शासकीय दायित्व था। तथापि वर्तमान बोर्ड सचिव के पत्रांक 2936/विविध/2020-21/ दिनांक-27 नवंबर 2020 जो सचिव श्रम, उत्तराखंड शासन को संबोधित है, में स्पष्ट रूप से इंगित किया गया है कि उक्त प्रकरण वित्त से संबन्धित है, जिस पर शासन से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में न तो वित्त विभाग से पूर्व अनुमति ली गई है तथा साथ ही भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियमन 1996 में उल्लिखित प्रावधानों के भी प्रतिकूल है।

उपरोक्त से स्वतः ही स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून स्तर से अनियमित रूप से निदेशक, ई एस आई योजना कार्यालय के माध्यम से कार्यदायी संस्था ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी इंडिया लि. को ` 20.00 करोड़ की धनराशि अनियमित रूप से ब्याज रहित ऋण के रूप में प्रदान की गयी।

अतः उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून स्तर से अनियमित रूप से निदेशक, ई एस आई योजना कार्यालय के माध्यम से कार्यदायी संस्था ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी इंडिया लि. को ` 20.00 करोड़ की धनराशि अनियमित रूप से ब्याज रहित ऋण के रूप में प्रदान किए जाने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(अ)

प्रस्तर-12: सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विपरीत प्रशिक्षण हेतु निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को Stipend के रूप में ₹1.32 करोड़ तथा बिना शासन के पूर्वानुमोदन के निर्माण श्रमिकों को Stipend के रूप में ₹93.28 लाख का अधिक भुगतान।

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) संशोधन नियम 2016 में प्रस्तावित उपनियम 271(3) के अनुसार पञ्जीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों के परिवारों की महिलाओं को NIESBUD द्वारा नियमानुसार स्वयं समूहों के रूप में चयन करते हुये उनके द्वारा सञ्चालित योजनाओं में प्रशिक्षण देने की कार्यवाही की जानी थी।

Model Welfare Scheme के संबन्ध में सुप्रीम कोर्ट के दिनाँक-04.10.2018 के आदेश के बिन्दु संख्या-5.2 के अनुसार **"During such period the worker should be given financial assistance and such training may be limited to once in three years. Skill development may be provided to the dependents of a BOC worker but that may be without any stipend. The expenses to be incurred under this head in a financial year should not exceed 10% of the cess collected in the previous year.**"

भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम 1996 (Central ACT NO. 27 OF 1996) के नियम-22(Functions of the Boards) के बिन्दु (1-h) के अनुसार **make provision and improvement of such other welfare measures and facilities as may be *prescribed*[9].**

बोर्ड कार्यालय द्वारा NIESBUD के माध्यम से कौशल विकास योजना के अन्तर्गत प्रदत्त प्रशिक्षण से संबन्धित उपलब्ध कराये गए अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया किः-

उपरोक्त प्रस्तावित उपनियम 271(3) के क्रम में NIESBUD द्वारा अपने पत्रांक-NIESBUD/RO/DDN/2016-17/271 दिनाँक-30.11.2016 के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित दरों (प्रशिक्षण दर -₹40.00 प्रति घण्टा , Stipend - ₹1000.00 प्रति माह एवं औसत एसेट दर-5000.00) से अवगत कराया गया। जिस पर बोर्ड कार्यालय के पत्रांक-6184/छः-146/BOCW/NIESBUD/2016 दिनाँक-21.12.2016 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। बोर्ड स्तर से बोर्ड बैठक(दिनाँक-10.12.2018) के निर्णयानुसार बिना शासन के पूर्वानुमोदन के NIESBUD के माध्यम से सञ्चालित कुशल विकास प्रशिक्षण के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को दिनाँक-20.08.2018 से Stipend ₹2000/- के स्थान पर ₹5000/- निर्धारित किया गया।बोर्ड कार्यालय द्वारा उपरोक्त वर्णित सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पश्चात की अवधि में कौशल विकास योजना के अन्तर्गत सम्पादित प्रशिक्षण में 2 माह के प्रशिक्षण(अक्टूबर 2018 से जनवरी 2020) हेतु निर्माण श्रमिकों के 1229 आश्रितों को 5000 की दर से तथा 1762 आश्रितों को 4000 की दर से **₹1.32 करोड़(संलग्नक-1 के अनुसार)** Stipend का भुगतान DBT अथवा चैक के माध्यम से किया गया।

---

[9] As per **2(m)** of aforesaid **Act** "**prescribed**" means prescribed by rule made under this act by the Central Government or, as the case may be, the State Government.

जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को प्रशिक्षण हेतु कोई Stipend प्रदान नहीं किया जाना था।

आगे नमूना जाँच में पाया गया कि बोर्ड कार्यालय द्वारा 2 माह के प्रशिक्षण(जुलाई 2018 से जनवरी 2020) हेतु बोर्ड बैठक(दिनाँक-10.12.2018) में लिए गए निर्णयानुसार बिना शासन के पूर्वानुमोदन के 1468 स्वयं निर्माण श्रमिकों को 4000/- तथा 2462 स्वयं निर्माण श्रमिकों को 5000/- Stipend का भुगतान DBT अथवा चैक किया गया। जबकि NIESBUD द्वारा निर्माण श्रमिकों को 2 माह के प्रशिक्षण हेतु Stipend के रूप में ₹2000/- स्वीकृत की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप निर्माण श्रमिकों को Stipend के रूप में **₹93.28 लाख(संलग्नक-1 के अनुसार)** का अधिक भुगतान किया गया। बोर्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए लेजर लेखे के अनुसार कौशल विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2019-20 में **₹34.19 करोड़** का व्यय किया गया। जबकि 2018-19 में एकत्रित उपकर **₹149.55 करोड़** था। उपरोक्त सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार कौशल विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण पर व्यय विगत वर्ष में एकत्रित उपकर से 10%(**₹14.96 करोड़**) से अधिक नहीं होना चाहिए। परन्तु बोर्ड कार्यालय द्वारा कौशल विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण हेतु विगत वर्ष में एकत्रित उपकर का ***22.86%(₹34.19 करोड़)*** व्यय किया गया। इस प्रकार बोर्ड द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विपरीत कौशल विकास योजना के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से **₹19.23 करोड़** का अधिक व्यय किया गया।

उक्त प्रेच्छा के सम्बन्ध में इकाई द्वारा अवगत कराया कि तत्कालीन सचिव बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है। इकाई का उत्तर कहीं से भी मान्य नहीं है क्योंकि तत्कालीन सचिव से विषयगत प्रकरण में आख्या प्राप्त करना बोर्ड का आन्तरिक मामला है, जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तरालेख प्रदान करना वर्तमान बोर्ड सचिव का शासकीय दायित्व है। इस प्रकार वर्तमान बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख उपलब्ध न कराया जाना लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति बोर्ड की स्वीकारोक्ति है। अतः सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विपरीत प्रशिक्षण हेतु निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को Stipend के रूप में **₹1.32 करोड़** तथा बिना शासन के पूर्वानुमोदन के निर्माण श्रमिकों को Stipend के रूप में **₹93.28 लाख** का अधिक भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-1

NIESBUD के माध्यम से सञ्चालित कौशल विकास योजना में प्रशिक्षकों को किए गए भुगतान का विवरण

क्र.सं.	कौशल विकास कार्यक्रम का विवरण	प्रशिक्षकों की संख्या	प्रशिक्षकों में स्वयं निर्माण श्रमिकों की संख्या	प्रशिक्षकों में निर्माण श्रमिकों के आश्रितों की संख्या	प्रशिक्षकों में स्वयं निर्माण श्रमिकों को Stipend के रूप में देय धनराशि@2000 (₹ में)	प्रशिक्षकों में निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को Stipend के रूप में देय धनराशि (₹ में)	प्रशिक्षकों में स्वयं निर्माण श्रमिकों को Stipend के रूप में प्रदत्त धनराशि (₹ में)	प्रशिक्षकों में निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को Stipend के रूप में प्रदत्त धनराशि (₹ में)	प्रशिक्षकों में स्वयं निर्माण श्रमिकों को Stipend के रूप में अधिक भुगतान की धनराशि (₹ में)	प्रशिक्षकों में निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को Stipend के रूप में अधिक भुगतान की धनराशि (₹ में)
1.	Fashion Designing from 10.02.19 to 10.04.19 at different locations in Dehradun	190	46	144	92000	0	230000	720000	138000	720000
2.	Fashion Designing from 01.05.19 to 01.07.19 & 03.05.19 to 03.07.19 at different locations in Dehradun	100	12	88	24000	0	60000	440000	36000	440000
3.	Fashion Designing & Food Processing from 10.02.19 to 10.04.19 & 15.10.18 to 15.12.18 at different locations in Pauri and Kotdwar	500	335	165	670000	0	1675000	825000	1005000	825000
4.	Fashion Designing & Food Processing from 18.04.19 to 30.06.19 at different locations in Pauri and Kotdwar	800	562	238	1124000	0	2810000	1190000	1686000	1190000

5.	Fashion Designing Food Processing, Cutting and Stiching from 02.09.19 to 02.11.19, 03.09.19 to 03.11.19, 04.09.19 to 04.11.19, 05.09.19 to 05.11.19, 06.09.19 to 06.11.19, 07.09.19 to 07.11.19, 09.09.19 to 09.11.19, 10.09.19 to 11.09.19, 11.09.19 to 11.11.19, 12.09.19 to 12.11.19 at different locations in Kotdwar	558	403	155	806000	0	2015000	775000	1209000	775000
6.	Fashion Designing from 26.08.19 to 26.10.19 at different locations in Dehradun	75	15	60	30000	0	75000	300000	45000	300000
7.	Fashion Designing from 25.09.19 to 25.11.19, 19.09.19 to 21.12.19, 09.10.19 to 09.12.19, 07.10.19 to 07.12.19, 05.01.19 to 05.04.19 &22.02.19 to 24.04.19 at different locations in Dehradun	399	86	313	172000	0	430000	1565000	258000	1565000
8.	Fashion Designing from 25.11.19 to 25.01.20 at different locations in Dehradun	100 [10]	9	66	18000	0	45000	330000	27000	330000
9.	Fashion Designing from 01.12.18 to 01.02.19 at different locations in Kotdwar	225	159	66	318000	0	636000	264000	318000	264000
10.	Fashion Designing, Food Processing and Preservation from 03.01.19 to 04.03.19, 04.01.19 to 04.03.19, 05.01.19 to 05.03.19, 07.01.19 to 07.03.19, &09.01.19 to 09.03.19 at different locations in Kotdwar and Pauri Garhwal	637	478	159	956000	0	1912000	636000	956000	636000

[10] प्रस्तुत अभिलेखों में 25 प्रशिक्षुकों का आश्रित सम्बन्धी विवरण अंकित नहीं किया गया था।

11.	Fashion Designing from 15.10.18 to 15.12.18 at different locations in Kotdwar and Pauri Garhwal	567	440	127	880000	0	1760000	508000	880000	508000
12.	Beutician from 05.01.19 to 05.03.19 and Fashion Designing from 02.01.19 to 02.03.19, 07.01.19 to 07.03.19 & 31.01.19 to 31.03.19 at different locations in Dehradun	232[11]	44	148	88000	0	176000	592000	88000	592000
13.	Fashion Designing from 05.01.19 to 05.03.19, 27.12.18 to 05.03.19 & 28.12.19 to 07.03.19 at different locations in Dehradun	549	125	424	250000	0	500000	1696000	250000	1696000
14.	Fashion Designing from 05.01.19 to 05.03.19, 27.12.18 to 05.03.19 & 28.12.19 to 07.03.19 at different locations in Dehradun	338	57	281	114000	0	228000	1124000	114000	1124000
15.	Fashion Designing 12.10.18 to 01.01.19 , 01.11.18 to 01.01.19, 01.11.18 to 31.03.19 &02.11.18 to 02.01.19 at different locations in Dehradun	186	18	168	36000	0	72000	672000	36000	672000
16.	Fashion Designing from 20.07.18 to 20.09.18, 23.07.18 to 24.09.18, 17.07.18 to 19.07.18, 30.07.18 to 30.09.18 at different locations in Dehradun	514[12]	-	-	1028000	-	2056000	-	1028000	-

[11] प्रस्तुत अभिलेखों में 40 प्रशिक्षुकों का आश्रित सम्बन्धी विवरण अंकित नहीं किया गया था।

[12] अक्टूबर 2018 से पूर्व प्रदत्त प्रशिक्षण

17.	Fashion Designing from 21.01.19 to 23.03.19, 12.01.19 to 12.03.19, 17.12.18 to 26.02.19 , 07.01.19 to 07.03.19, 23.01.19 to 23.03.19 & 02.01.19 to 31.03.19 at different locations in Dehradun	279 [13]	49	162	98000	0	196000	648000	98000	648000
18.	Fashion Designing from 15.10.18 to 15.12.18 at Dehradun	36	12	24	24000	0	48000	96000	24000	96000
19.	Fashion Designing from 25.07.18 to 23.09.18, 20.09.18 to 20.10.18 , 10.10.18 to 10.12.18 & 09.10.18 to 10.12.18 at different locations in Dehradun	186 [14]	-	-	372000	-	744000	-	372000	-
20.	Fashion Designing from 03.01.19 to 03.03.19 at different locations in Dehradun	196	79	117	158000	0	316000	468000	158000	468000
21.	Fashion Designing from 17.08.18 to 02.10.18, 22.07.18 to 22.09.18, 24.07.18 to 24.09.18, 25.07.18 to 23.09.18,18.08.18 to 15.10.18 & 17.08.18 to 22.10.18 at different locations in Dehradun	237 [15]	-	-	474000	-	948000	-	474000	-
22.	Fashion Designing from 05.10.18 to 05.12.18, 01.10.18 to 01.12.18, 03.10.18 to 03.12.18 & 04.10.18 to 04.12.18 at different locations in Dehradun	150	64	86	128000	0	256000	344000	128000	344000
	Total	**7054**	**3930**	**2991**	**7860000**	**0**	**17188000**	**13193000**	**9328000**	**13193000**

[13] प्रस्तुत अभिलेखों में 68 प्रशिक्षुकों का आश्रित सम्बन्धी विवरण अंकित नहीं किया गया था।

[14] 142 प्रशिक्षुकों का अक्टूबर 2018 से पूर्व प्रदत्त प्रशिक्षण तथा प्रस्तुत अभिलेखों में 46 प्रशिक्षुकों का आश्रित सम्बन्धी विवरण अंकित नहीं किया गया था।

[15] अक्टूबर 2018 से पूर्व प्रदत्त प्रशिक्षण

भाग-2(अ)

प्रस्तर 13-:NIESBUD द्वारा प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष ₹48.83 लाख का अधिक भुगतान तथा प्रशिक्षण स्थल का सत्यापन किए बिना ₹3.48 करोड़ का भुगतान।

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार(नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) संशोधन नियम 2016 में प्रस्तावित उपनियम 271(3) के अनुसार पञ्जीकृत पात्र निर्माण श्रमिकों के परिवारों की महिलाओं को NIESBUD द्वारा नियमानुसार स्वयं समूहों के रूप में चयन करते हुये उनके द्वारा सञ्चालित योजनाओं में प्रशिक्षण देने की कार्यवाही की जानी थी।

उपरोक्त प्रस्तावित उपनियम 271(3) के क्रम में NIESBUD द्वारा अपने पत्रांक-NIESBUD/RO/DDN/2016-17/271 दिनाँक-30.11.2016 के माध्यम से प्रशिक्षण हेतु प्रस्तावित दरों (प्रशिक्षण दर -₹40.00 प्रति घण्टा , Stipend - ₹1000.00 प्रति माह एवं औसत एसेट दर-5000.00) से अवगत कराया गया। जिस पर बोर्ड कार्यालय के पत्रांक-6184/छः-146/BOCW/NIESBUD/2016 दिनाँक-21.12.2016 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई।

NIESBUD द्वारा प्रस्तुत बिल संख्या-NIESBUD/RO/2016-17/30 दिनाँक-30.03.2017 में 530 प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण हेतु Asset का भुगतान स्वीकृत दर ₹5000/- के स्थान ₹7500/- से किया गया। जिसके परिणामस्वरूप NIESBUD को **₹13.25 लाख**(2500*530) का अधिक भुगतान किया गया।

आगे जाँच में पाया गया कि NIESBUD द्वारा संलग्नक-2 में वर्णित बिलों के साथ संलग्न सूची के अनुसार 180 घण्टे तथा 120 घण्टे प्रशिक्षण प्रदान किया गया था। परन्तु बिल का भुगतान 200 घण्टे के अनुसार किया गया था। बोर्ड कार्यालय द्वारा NIESBUD को प्रशिक्षण दर ₹40/-प्रति घण्टा स्वीकृत की गई थी। जिस कारण NIESBUD को बोर्ड कार्यालय द्वारा **₹35.58 लाख(संलग्नक-2 के अनुसार)** का अधिक भुगतान किया गया। बिल के साथ संलग्न सूची के अनुसार भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप **₹35.58 लाख** का अधिक भुगतान किया गया।

संलग्नक-2 के अतिरिक्त NIESBUD द्वारा प्रस्तुत सभी बिलों में संलग्न विवरण में प्रशिक्षण का समय अंकित नहीं किया गया था।

बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्या-788/2018 दिनाँक-06 दिसम्बर 2018 के अनुसार NIESBUD द्वारा प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से 10 दिन पूर्व बोर्ड कार्यालय को प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अवगत कराना था। ताकि प्रशिक्षण स्थल का निरीक्षण किया जा सके। संलग्नक-1 में क्र॰ सं-11 से 22 तक के प्रशिक्षण विवरण के अनुसार 2903 निर्माण श्रमिकों एवं उनके आश्रितों को NIESBUD द्वारा बोर्ड कार्यालय को अवगत कराये बिना ही प्रशिक्षण का बिल प्रेषित किया गया। जिससे प्रशिक्षण स्थल का सत्यापन नहीं किया जा सका। बोर्ड कार्यालय द्वारा बिना प्रशिक्षण स्थल का सत्यापन किए बिना ही **₹2.32 करोड़ तथा Stipend** के रूप में **₹1.16 करोड़ (2903X4000)** का भुगतान किया गया।

उक्त विसंगतियों के सन्दर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि तत्कालीन सचिव बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है। इकाई का उत्तर कहीं से भी मान्य नहीं है क्योंकि तत्कालीन सचिव से विषयगत प्रकरण में आख्या प्राप्त करना बोर्ड का आन्तरिक मामला है, जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तरालेख प्रदान करना वर्तमान बोर्ड

सचिव का शासकीय दायित्व है। इस प्रकार वर्तमान बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख उपलब्ध न कराया जाना लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति बोर्ड की स्वीकारोक्ति है।

इकाई का उत्तर असंतोषजनक है। अतः प्रस्तुत बिलों के सापेक्ष ₹48.83 लाख का अधिक भुगतान तथा प्रशिक्षण स्थल का सत्यापन किए बिना ₹3.48 करोड़ का भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

संलग्नक-2

बिल के सापेक्ष अधिक भुगतान का विवरण

क्र.सं.	बिल संख्या	प्रशिकक्ष कों की संख्या (क)	बिल में संलग्न सूची के अनुसार समय(घण्टे में) (ख)	भुगतानित धनराशि के अनुसार समय(घण्टे में) (ग)	देय धनराशि (₹ में) (क*ख*40)	प्रदत्त धनराशि (₹ में) (क*ख*ग*40)	अधिक भुगतानित धनराशि (₹ में)
1.	NIESBUD/RO/2019-20/004 Date-29.08.19	190	120	200	912000	1520000	608000
2.	NIESBUD/RO/2019-20/005 Date-29.08.19	100	120	200	480000	800000	320000
3.	NIESBUD/RO/2019-20/002 Date-19.08.19	500	180	200	3600000	4000000	400000
4.	NIESBUD/RO/2019-20/003 Date-19.08.19	800	180	200	5760000	6400000	640000
5.	NIESBUD/RO/2019-20/028 Date-10.12.19	558	180	200	4017600	4464000	446400
6.	NIESBUD/RO/2018-19/06 Date-12.02.19	225	180	200	1620000	1800000	180000
7.	NIESBUD/RO/2018-19/09 Date-15.03.19	637	180	200	4586400	5096000	509600
8.	NIESBUD/RO/2018-19/03 Date-21.01.19	567	180	200	4082400	4536000	453600
	Total	**3577**	**1320**	**1600**	**25058400**	**28616000**	**3557600**

भाग दो (अ)

प्रस्तर-14: बोर्ड के वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2018-19 वार्षिक लेखों को नियमानुसार तैयार न किया जाना एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखे तैयार न किये जाने एवं लेखों को लेखापरीक्षण हेतु प्रस्तुत न किया जाना।

(अ) उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि बोर्ड कार्यालय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2019-20 में ` 192.89 करोड़ की धनराशि विभिन्न क्रिया कलापों मे व्यय की गयी जिसके सापेक्ष बोर्ड द्वारा आतिथि 11.12.2020 वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखें संप्रेक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गये, जिसके परिणामस्वरूप उक्त व्यय की प्रमाणिकता की जांच किया जाना लेखापरीक्षा में संभव नही हो पाया। एवं वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2018-19 के जो लेखे तैयार किए गये है उक्त लेखों मे निम्नलिखित विसंगतिया प्रकाश में आयी:

(1) बोर्ड कार्यालय स्तर पर वार्षिक लेखे को (As per Ministry of Finance, GOI has prescribed a uniform format of accounts for preparation and presentation of financial statements of Central autonomous organizations) यूनिफ़ोर्म फॉर्मेट पर बनाये जाने चाहिये थे। जबकि बोर्ड स्तर पर बोर्ड कार्यालय के वार्षिक लेखे यूनिफ़ोर्म फॉर्मेट पर नही बनाये गये थे।

(2) बोर्ड कार्यालय स्तर पर जो लेखे तैयार किये गये थे उक्त लेखों पर बोर्ड का अनुमोदन नही लिया गया था जिसके परिणामस्वरूप उक्त लेखों की कोई प्रमाणिकता नही है।

(3) बोर्ड कार्यालय के द्वारा जो लेखे लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किये गये उक्त लेखे वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2016-17 के वार्षिक लेखे Office of Labour Commissioner Uttarakhand के नाम से बनाये गये थे। जबकि उक्त लेखे “Uttarakhand Building and Other Construction Labour Welfare Board” के नाम पर तैयार किये जाने चाहिये थे। बोर्ड स्तर पर वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2007-08 के लेखें तैयार नही किये गये।

अत: बोर्ड स्तर पर संप्रेक्षा तिथि (दिसम्बर 2020) तक वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखें न बनाये जाने एवं उपलब्ध कराये गये लेखों में उक्त विसंगतियां होने के परिणामस्वरूप बोर्ड के लेखों मे वित्तीय विसंगतियां होने की सम्भावना से इन्कार नही किया जा सकता।

(ब) As per “The Uttaranchal Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2005” के नियम 261 के बिन्दु संख्या (e) एवं (f) के अनुसार, (e) proper maintenance of accounts; (f) annual audit of accounts of the Board, in accordance with provision of the Act. In accordance with Section 27 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 the

Board shall maintain proper accounts and relevant records and get the same audited annually by the Comptroller and Auditor-General of India or any other person appointed by him in connection with the auditing of the accounts of the Board. For conducting the Audit of the Board the Comptroller and Auditor-General of India shall have the same rights and privileges and as in connection with the auditing of the Government accounts.

बोर्ड के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि, बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2019-20 की अवधि में बोर्ड से अनुमोदित वार्षिक लेखे (Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payment Account) लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत नही किए गए। जब कि बोर्ड को वित्तीय लेखों को तैयार कर व बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त कार्यालय ज्ञापन संख्या 17 (3)/2011-ई.II (क) दिनांक 5 सितम्बर, 2011 भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग प्रत्येक वर्ष के लेखे लेखापरीक्षा हेतु प्रत्येक वर्ष 30 जून तक कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित किए जाने चाहिये थे, परंतु बोर्ड द्वारा बोर्ड की स्थापना से वर्तमान तक किसी भी वर्ष के लेखे लेखापरीक्षा हेतु प्रेषित नहीं किए गए।

प्रस्तर के भाग (अ) के उत्तर मे बोर्ड द्वारा कहा गया कि बोर्ड के अन्तर्गत कोई वित्त से संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी तैनात न होने के कारण वार्षिक लेखे निर्धारित प्रारूप पर तैयार नही किये जा सके, भविष्य में सभी लेखे वित्त विभाग द्वारा जारी यूनिफ़ोर्म फॉर्मेट पर तैयार किये जायेगे और 03/2018 तक बोर्ड कार्यालय, श्रम आयुक्त कार्यालय हल्द्वानी से संचालित था, जिस कारण से त्रुटिवश श्रम आयुक्त कार्यालय उत्तराखण्ड के नाम से बनाये गये भविष्य में सभी लेखे उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के नाम से बनाये जायेगे तथा वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2007-08 तक उपकर की धनराशि प्राप्त न होने के कारण वार्षिक लेखे तैयार नही किये जा सके बोर्ड के उत्तर से स्पष्ट है कि बोर्ड द्वारा वार्षिक लेखों को नियमानुसार तैयार नही किये गये।

प्रस्तर भाग (ब) के उत्तर मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये स्पष्ट किया कि तत्कालीन सचिव बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है। इकाई का उत्तर तर्कसंगत नही है, क्योंकि तत्कालीन सचिव से विषयगत प्रकरण मे आख्या प्राप्त करना बोर्ड का आन्तरिक मामला है जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख प्रदान करना वर्तमान बोर्ड सचिव का शासकीय दायित्व है। इस प्रकार बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख उपलब्ध न कराया जाना लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति बोर्ड की स्वीकारोक्ति है।

अत: इस प्रकार बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2018-19 वार्षिक लेखों को नियमानुसार तैयार न किया जाना एवं वित्तीय वर्ष 2019-20 के वार्षिक लेखे तैयार न किया जाने एवं लेखों को लेखापरीक्षण हेतु प्रस्तुत न किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग- 2(अ)

प्रस्तर:-15- अधिनियम मे इंगित प्रावधानों के प्रतिकूल शासन के पूर्वानुमोदन बिना धनराशि रु 45.30 लाख के वाहनों का अनियमित क्रय किया जाना।

1- उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम-2005 के **नियम-291** मे स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था कि एक्ट एवं नियमों मे इंगित उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों पर व्यय बिना शासन के पूर्वानुमोदन के नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम 1996 (ACT NO. 27 OF 1996) के नियम-22(Functions of the Boards) के बिन्दु (1-h) के अनुसार *make provision and improvement of such other welfare measures and facilities as may be prescribed*[16] *वर्णित था।*

2- उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग-1 के पत्रांक: IX-1/215/2011/2016, देहरादून: दिनांक-10 मार्च, 2016 के अनुसार राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु शासकीय वाहन के क्रय हेतु नीति निर्धारण के बिन्दु (3) के श्रेणीनुसार अधिकारियों एवं महानुभावों को शासकीय/सरकारी वाहनो के क्रय हेतु **अधिकतम वाहन क्रय मूल्य** क्रमश: रु 15.00 लाख(A-श्रेणी), रु 12.00 लाख(B-श्रेणी), रु 08.00 लाख(C-श्रेणी) एवं रु 06.00 लाख(D,E-श्रेणी) निर्धारित किया गया था तथा **बिन्दु 4(क,ख,ग)** के अनुसार श्रेणी A,B,C एवं D,E के अधिकारियों एवं महानुभावों को शासकीय/सरकारी वाहनो की अधिप्राप्ति **प्रस्तर 3** के अनुमन्यता की सीमा तक DGS&D दरों के माध्यम से की जानी थी।

बोर्ड कार्यालय के वाहनो से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच मे पाया गया कि बोर्ड बैठक दिनांक: 23.10.2017 के बिन्दु संख्या-17 के अनुसार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष एवं सचिव हेतु एक-एक इनोवा वाहन एवं मुख्यालय के कार्यों हेतु एक वाहन वास्तविक व्यय की सीमा तक क्रय किए जाने का निर्णय लिया गया था। बैठक के निर्णय के अनुक्रम मे बोर्ड कार्यालय द्वारा 02-इनोवा वाहन एक ही दिन बुक कराये गए थे। वाहन बुकिंग हेतु दिनांक 06.08.18 को एक-एक लाख धनराशि के दो अलग-2 चैक जारी किए गए थे, परन्तु जब इनोवा वाहन के बिलों का भुगतान किया गया तो दिनांक 24.08.18 एवं 15.09.18 को प्राप्त वाहन के लिए क्रमश: रु 17.24 लाख एवं रु 18.89 लाख का भुगतान किया जाना पाया गया था। इस प्रकार एक ही दिन बुक किए गए एक ही प्रकार के 2-वाहन के मूल्य मे धनराशि रु 1.65 लाख का (अधिक भुगतानित धनराशि का) अन्तर पाया गया, जिसका विवरण निम्नानुसार था-

---

[16] As per aforesaid **Act of 2(m)** "**prescribed**" means prescribed by rule made under this act by the Central Government or, as the case may be, the State Government.

क्र सं	वाहन का नाम	वाहन प्राप्ति तिथि	फर्म का नाम	वाहन का Ex Showroom मूल्य (रु)	अन्य मूल्य (RTO/Ins. etc) (रु)	कुल धनराशि (रु)
1	BOLERO B54/7str (UK07DG3501)	04.08.18	Dehradun premier motor pvt. Ltd.	7,88,000.00	1,29,102.00	9,17,102.00
2	INNOVA CRYSTA 2.4 Gx6+1 7str (UK07DH7588)	24.08.18	Grand Toyota (Uttaranchal automobile pvt. Ltd.)	15,46,000.00	1,77,815.00	17,23,815.00
3	INNOVA CRYSTA 2.4 Gx6+1 7str (UK07DH0116)	15.09.18	Grand Toyota (Uttaranchal automobile pvt. Ltd.)	15,77,000.00	3,12,062.00	18,89,062.00
TOTAL				**40,40,102.00**	**4,89,877.00**	**45,29,979.00**

उक्त विवरण से स्पष्ट था कि बोर्ड कार्यालय द्वारा उक्त वाहनों को क्रय करते समय न तो उत्तराखण्ड शासन परिवहन अनुभाग के उक्त उल्लेखित पत्रांक का पालन किया गया और न ही उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम के उक्त वर्णित अधिनियमों का पालन किया जाना पाया गया था। जबकि उक्त नियमानुसार बोर्ड कार्यालय को वाहन क्रय किए जाने हेतु शासन से पूर्वानुमोदन लिया जाना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये स्पष्ट किया कि विषयगत प्रकरण के सम्बन्ध मे तत्कालीन सचिव बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है। आख्या प्राप्त होने पर कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) को सूचित किया जाएगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि तत्कालीन सचिव से विषयगत प्रकरण मे आख्या प्राप्त करना बोर्ड का आन्तरिक मामला है जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख प्रदान करना वर्तमान बोर्ड सचिव का शासकीय दायित्व है। इस प्रकार बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख उपलब्ध न कराया जाना लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति बोर्ड की स्वीकारोक्ति है।

अत: अधिनियम मे इंगित प्रावधानों के प्रतिकूल शासन के पूर्वानुमोदन बिना धनराशि रु 45.30 लाख के वाहनों का अनियमित क्रय किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-दो (अ)

प्रस्तर-16 उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संबन्धित उपकर की ` 94.84 करोड़ की धनराशि का अप्राप्त रहना।

उतराखंड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियम, 2005 के नियम-265 (3) (स) के प्रावधानों के अनुसार अन्य श्रोतों से प्राप्त सभी धनराशियों को जो केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, बोर्ड के खाते में जमा की जायेगी ।यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में मा. सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन संख्या-318/2006 में उल्लिखित है कि - The affidavit filed by Ms. Fani Rao indicates that some State Governments have not transferred the amount to the concerned welfare Boards. The transfer of the amount may be carried out immediately preferably within two weeks from today, failing which we require an explanation from the Chief Secretary of the State.

जबकि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कार्यालय से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि कुछ निर्माणदायी संस्थाओं जिनका भुगतान कोषागार के माध्यम से किया जाता है, के द्वारा उपकर की धनराशि का भुगतान बोर्ड को न करके श्रम विभाग के प्राप्ति शीर्ष- 0230-00-106-00 में किया गया। इस संबंध में निदेशक, कोषागार से उक्त प्राप्ति शीर्ष में उपकर की धनराशि जमा किए जाने के संबंध में बोर्ड कार्यालय के द्वारा जानकारी मांगे जाने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि वर्ष-2014 से मई-2018 तक ` 103.34करोड़ की धनराशि निर्माणदायी संस्थाओं जिनका भुगतान कोषागार के माध्यम से किया जाता है, के द्वारा उपकर की धनराशि प्राप्ति शीर्ष- 0230-00-106-00 में जमा की गई है।

संप्रेक्षा के दौरान आगे यह पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में ` 3.50 करोड़ की धनराशि एवं 2019-20 में ` 5.00 करोड़ की धनराशि शासन स्तर से श्रम विभाग को आबंटित बजट के साथ श्रम विभाग के माध्यम से बोर्ड कार्यालय को प्राप्त कराई गयी। यहाँ यह भी सूच्य है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुपूरक बजट में भी शासन द्वारा ` 5.00 करोड़ की धनराशि बोर्ड को प्राप्त कराये जाने हेतु श्रम विभाग को आबंटित की गयी परंतु संप्रेक्षा तिथि (दिसंबर-2020) तक श्रम विभाग द्वारा उक्त धनराशि बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध नहीं कराई जा सकी थी। इस प्रकार संप्रेक्षा तिथि (दिसंबर-2020) तक ` 94.84 करोड़ की लेबर सेस से संबन्धित बोर्ड कार्यालय को प्राप्त होने वाली धनराशि (शासन स्तर पर `89.84 करोड़ एवं श्रम विभाग स्तर पर ` 5.00 करोड़) के पास पड़ी थी।

उक्त के संबंध में संप्रेक्षा द्वारा यह पूछे जाने पर कि बोर्ड द्वारा ` 89.84 करोड़ की धनराशि श्रम विभाग के माध्यम से शासन से आबंटित कराते हुए ढाई वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी एवं ` 5.00 करोड़ की धनराशि श्रम विभाग से किन परिस्थितियों में प्राप्त नहीं की जा सकी? उक्त प्रेच्छा के उत्तर में इकाई द्वारा अपने उत्तर में अवगत कराया गया कि बोर्ड द्वारा शासन से धनराशि वापस प्राप्त करने हेतु लगातार पत्राचार किया जा रहा है।

इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त विसंगति उतराखंड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियम, 2005 के नियम -265 (3) (स) के प्रावधानों एवं मा. सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट पिटीशन संख्या-318/2006 के पूर्णतः प्रतिकूल है।

अतः ` 94.84 करोड़ की लेबर सेस से संबन्धित बोर्ड कार्यालय को प्राप्त होने वाली धनराशि (शासन स्तर पर ` 89.84 करोड़ एवं श्रम विभाग स्तर पर ` 5.00 करोड़) के बोर्ड द्वारा प्राप्त न करने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

B) उपकर की धनराशि ` 426.31 करोड़ की वसूली लंबित रहना।

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि बोर्ड द्वारा बोर्ड की आय मे वृद्धि करने हेतु टेलीकम्युनिकेसन्स कंसल्टेंटस इंडिया लिमिटेड (Telecommunications Consultants India Limited) का चयन किया गया था। कंपनी ने वर्ष 2005 से 2018 तक की अवधि में निर्मित भवनों का सर्वे कर पत्रांक संख्या TCIL/16/139/12/2020/RS-A/UKBOCW Dated 06.02.2020 द्वारा चार जिलों मे ` 426.31 करोड़ की धनराशि के 78,756 भवन स्वामियों से वसूली की जाने वाली धनराशि से संबन्धित चालान तैयार कर बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध कराये गए थे, जिनका जनपदवार विवरण निम्न प्रकार है:

जनपदवार उपकर वसूल की जाने वाली धनराशि का विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	उपकर की धनराशि (`)
1.	देहरादून	2873335394
2.	हरिद्वार	935544185
3.	नैनीताल	13843585
4.	उधमसिंह नगर	440341467
	योग	**4263064631**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है सम्बन्धित फर्म द्वारा धनराशि ` 426.31 करोड़ के चालान बोर्ड कार्यालय को उपलब्ध कराये गए थे, परन्तु बोर्ड द्वारा लेखापरीक्षा तिथि 11.12.2020 तक उक्त चालानों के सापेक्ष कोई भी चालान संबन्धित भवन स्वामियों को जारी नही किये गये, जिसके कारण उपकर की धनराशि ` 426.31 करोड़ के सापेक्ष पूर्ण वसूली लंबित थी।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये स्पष्ट किया कि तत्कालीन सचिव बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है। इकाई का उत्तर तर्कसंगत नही है, क्योंकि तत्कालीन सचिव से विषयगत प्रकरण मे आख्या प्राप्त करना बोर्ड का आन्तरिक मामला है जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख प्रदान करना वर्तमान बोर्ड सचिव का शासकीय दायित्व है। इस प्रकार बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख उपलब्ध न कराया जाना लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति बोर्ड की स्वीकारोक्ति है तथा फर्म द्वारा धनराशि ` 426.31 करोड़ के प्रेषित चालानों मे से बोर्ड स्तर पर कोई भी चालान संबन्धित भवन स्वामियों को लेखापरीक्षा तिथि (15 दिसम्बर, 2020 तक) जारी नही किये गये। अत: बोर्ड कार्यालय स्तर पर संबन्धित भवन स्वामियों से उपकर की धनराशि ` 426.31 करोड़ की वसूली लंबित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग- 2(अ)

प्रस्तर:-17- अधिनियम मे इंगित प्रावधानों के प्रतिकूल शासन के पूर्वानुमोदन बिना धनराशि रु 43.80 करोड़ का अनियमित रूप से राशन किटों की आपूर्ति लिया जाना।

1- उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम-2005 के **नियम-291** मे स्पष्ट रूप से प्रावधानित है कि एक्ट एवं नियमों मे इंगित उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों पर व्यय बिना शासन के पूर्वानुमोदन के नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम 1996 (ACT NO. 27 OF 1996) के नियम-22(Functions of the Boards) के बिन्दु (1-h) के अनुसार *make provision and improvement of such other welfare measures and facilities as may be prescribed*[17] *वर्णित था।*

2- अग्रेतर उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या-18(1)/XXXIV/2016-17/2015 दिनाँक-15 जनवरी, 2016 के बिन्दु संख्या-(1) राज्य में सूचना प्रौद्यगिकी से संबन्धित कार्य कार्यदायी संस्थाओं से कराते हुये **दूरसंचार एवं प्रौद्यगिकी क्षेत्र** में भारत सरकार के सार्वजनिक क्षेत्रों में ITI Ltd, Central Electronics Ltd, Mellenium Telecom Ltd एवं Telecommunications Consultant India Ltd. उपक्रमों को सूचीबद्ध किया गया था एवं बिन्दु संख्या-(2) मे राज्य के विभिन्न विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत निम्नानुसार कार्य कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से कराये जाने थे-

I राज्य के मुख्यालय, विभिन्न विभागों, महत्वपूर्ण संस्थाओं, विभागाध्यक्ष कार्यालयों, जनपद एवं तहसील व ब्लाक मुख्यालयों, वीडियो कान्फ्रेंसिंग स्थापना कार्य। राज्य के विभिन्न सार्वजनिक स्थलो, जिला मुख्यालय, पर्यटक स्थलों, महत्वपूर्ण संस्थाओं/कार्यालयों मे वाई-फाई स्थापना कार्य।

ii विभाग के कार्यों के सम्पादन हेतु सॉफ्टवेयर का विकास।

iii उक्त के अतिरिक्त सूचना प्रौद्यगिकी के अन्तर्गत ढांचागत विकास से संबन्धित कार्य।

बोर्ड कार्यालय द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित करने हेतु ITI Ltd के माध्यम से क्रय किए गए राशन से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि बोर्ड कार्यालय ज्ञाप संख्या-2187/2020, दिनाँक-08 मई, 2020 के अनुसार निर्माण श्रमिकों को **राशन-किट**[18] का क्रय एवं उसे डोर-टू-डोर वितरण किए जाने हेतु ITI Ltd को नामित कर दिनाँक-12.05.2020 को MOU गठित किया गया था। MOU के बिन्दु संख्या-7 के अनुसार सामग्रियों की अधिप्राप्ति हेतु ITI Ltd द्वारा निविदा[19] की गयी। निविदा के पश्चात राशन किट क्रय हेतु रु 988.32 एवं राशन किट के *Formation, Distribution, Deployment of e-Management system and uploading of day to*

---

[17] As per aforesaid **Act of 2(m)** "**prescribed**" means prescribed by rule made under this act by the Central Government or, as the case may be, the State Government.

[18] Wheat flour-5 kg, Rice-3 kg, Dal-1 kg, Oil-1 kg, Salt-1 kg, Sugar-1 kg, Tea pack-250gm, Sabji masala-200gm, Bhuna chana-500gm, Haldi-200gm, Soap-1nos, Detergent cake-1nos, Face mask-5nos, Sanitizer gel-02 nos (100ml)

[19] निविदा के पश्चात L1 फर्म M/s Bharat traders and suppliers, Lucknow को नामित किया गया था।

day data of distribution of Ration Kits on UKBOCW Cloud etc हेतु रु 412.77 की न्यूनतम दर निर्धारित की गयी थी। इसके अतिरिक्त ITI Ltd को न्यूनतम दर के साथ अधिप्राप्ति पर 7% सेंटेज + जीएसटी का भुगतान किया जाना निर्धारित किया गया था।

उपरोक्त शासनादेशानुसार ITI Ltd कार्यदायी संस्था को उत्तराखण्ड शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी कार्य एवं विभाग के कार्यों के सम्पादन हेतु सॉफ्टवेयर विकास से संबन्धित कार्य कराये जाने हेतु नामित किया गया था। परन्तु बोर्ड कार्यालय द्वारा उक्त कार्यदायी संस्था के माध्यम से धनराशि रु 43.80 करोड़ की 2.50 लाख(राशन-किट मात्रा) राशन-किट सामग्री संलग्न (प्रारूप-1 व 2 में वर्णित) का क्रय अधिनियमों के प्रतिकूल किया गया था। चूँकि राशन क्रय का उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम-2005 मे प्रावधान ही नहीं था। इसके अतरिक्त MOU शर्तानुसार ITI Ltd द्वारा प्रति-दिन वितरित की गयी राशन-किटों का विवरण UKBOCW Cloud मे ऑनलाइन अपलोड किया जाना सुनिश्चित किया गया था। परन्तु ITI Ltd द्वारा वितरित की गयी 2.50 लाख राशन-किटों के सापेक्ष मात्र 69911-किटों को ही ऑनलाइन अपलोड किया गया था। साथ ही यह देखा गया की बोर्ड कार्यालय द्वारा इसके लिए पूर्व मे ही पूर्ण भुगतान ITI Ltd को किया जा चुका था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये स्पष्ट किया कि तत्कालीन सचिव बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है। आख्या प्राप्त होने पर कार्यालय प्रधान महालेखाकर (लेखापरीक्षा) को सूचित किया जाएगा। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि तत्कालीन सचिव से विषयगत प्रकरण मे आख्या प्राप्त करना बोर्ड का आन्तरिक मामला है जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख प्रदान करना वर्तमान बोर्ड सचिव का शासकीय दायित्व है। इस प्रकार बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख उपलब्ध न कराया जाना लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति बोर्ड की स्वीकारोक्ति है।

अत: अधिनियम मे इंगित प्रावधान के प्रतिकूल शासन के पूर्वानुमोदन बिना धनराशि रु 43.80 करोड़ का अनियमित रूप से राशन किटों की आपूर्ति लिये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

(संलग्नक)

प्रारूप-01 (राशन किट क्रय का विवरण)

S. No.	Purchase Quantity	Unit Price	Total (B+C)	ITI Centage @7%x(D)	Grand Total (D+E)	IGST @18%x(F)	Net Payable (F+G)	Un-Deducted TDS @2%x(H)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
1	80000	988.32	79065600	5534592	84600192	15228035	99828227	1996564
2	100000	988.32	98832000	6918240	105750240	19035043	124785283	2495705
3	70000	988.32	69182400	4842768	74025168	13324530	87349698	1746993
TOTAL	**250000**	**988.32**	**247080000**	**17295600**	**264375600**	**47587608**	**311963208**	**6239262**

प्रारूप-02 (राशन के रख-रखाव एवं वितरण आदि पर किए व्यय का विवरण)

S. No.	Purchase Quantity	Unit Price	Total (B+C)	ITI Centage @7%x(D)	Grand Total (D+E)	IGST @18%x(F)	Net Payable (F+G-I)	Deducted TDS @2%x(H)
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)
1	55000	412.77	22702350	1589165	24291515	4372473	28170958	485830
2	65000	412.77	26830050	1878103	28708153	5167468	31423355	574163
3	130000	412.77	53660100	3756207	57416307	10334936	66396217	1355025
TOTAL	**250000**	**412.77**	**103192500**	**7223475**	**110415975**	**19874877**	**125990530**	**2415018**

भाग-दो (अ)

प्रस्तर-18 बोर्ड कार्यालय स्तर पर ` 18.66 करोड़ के अनियमित भुगतान एवं ` 172.36 करोड़ की धनराशि से आपूर्तित सामग्रियों के पात्र लाभार्थियों में वितरण एवं अवशेष से संबन्धित आवश्यक अभिलेखों/सूचना के रख-रखाव न किए जाने के संबंध में।

उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कार्यालय के विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति से संबन्धित लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि:

1. उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के नियम 18 के उपनियम (1) के अनुसार समान्यतः आपूर्ति/सेवाएँ पूर्ण करने के बाद ही संबन्धित फर्म को भुगतान किया जाना चाहिए परंतु नियम 18 के उपनियम (2) (ख) के अनुसार राज्य/केंद्र सरकार की इकाई या राज्य/केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम हेतु अनुबंध के मूल्य का 40 प्रतिशत भुगतान किया जा सकता है। जबकि बोर्ड कार्यालय को आई टी आई लि. (केंद्र सरकार का सार्वजनिक उपक्रम) द्वारा निम्नानुसार सामग्रियों की आपूर्ति किया जाना अवशेष (दिसंबर-2020) था जबकि बोर्ड कार्यालय स्तर से संबन्धित फ़र्म को उक्त सामग्रियों का पूर्ण भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका था।

तालिका-1

क्रमांक	सामग्री का नाम	अनुबंध/आपूर्ति वर्ष	आपूर्ति की जाने वाली सामग्री की कुल संख्या	आपूर्ति की गयी सामग्री की संख्या	आपूर्ति हेतु अवशेष सामग्री	पूर्व में भुगतानित धनराशि (लाख में)
1	साइकिल	2019-20	45000	25737	19263	839.13
2	सेनेटरी पैड	2018-19	69444 बॉक्स	55640	13804	255.23
3	सोलर लालटेन	2018-19	50000	43164	6836	202.76
4	छाता	2018-19	100000	71806	28194	121.64
5	सिलाई मशीन	2018-19 एवं 2019-20	78126	67722	10404	446.98
योग						**1865.74**

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आई टी आई लि द्वारा वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के अनुबंध/आपूर्ति आदेश के सापेक्ष **अनुलग्नक 'अ'** के अनुसार बड़ी मात्रा में सामग्रियों की आपूर्ति बोर्ड कार्यालय को किया जाना अवशेष था जबकि बोर्ड कार्यालय स्तर से उक्त सामग्रियों हेतु `18.66 करोड़ का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका था।

2. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वितीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 (अक्तूबर-2020) तक बोर्ड कार्यालय स्तर पर **अनुलग्नक 'ब'** के अनुसार आपूर्तित मदों के सापेक्ष ` 172.36 करोड़ की धनराशि संबन्धित फ़र्मों को भुगतानित की गयी। जबकि नमूना लेखापरीक्षा के दौरान उक्त आपूर्ति के संबंध में निम्नांकित विसंगतियाँ पायी गईं:

(i) लेखापरीक्षा अवधि में बोर्ड कार्यालय स्तर पर ऐसे किसी अभिलेख का रखरखाव नहीं किया गया था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता कि किसी भी सामग्री की आपूर्ति से पहले बोर्ड कार्यालय स्तर पर यह आकलित किया गया हो कि वास्तव में क्षेत्रीय/जनपदीय कार्यालयों की मांग के आधार पर आपूर्तित की जाने वाली सामग्री की वास्तव में कितनी मात्रा में आवश्यकता है। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि संबन्धित फर्म से अनुबंध करते समय भी बोर्ड कार्यालय स्तर से कई प्रकरणों में यह उल्लिखित नहीं किया जा सका कि बोर्ड कार्यालय को वांछित सामग्री कितनी मात्रा में आपूर्तित

की जानी है। कई प्रकरणों में यह भी पाया गया कि अनुबंध के समय संबन्धित फर्म को जितनी मात्रा में आपूर्ति आदेश जारी किए गए थे उससे कहीं ज्यादा आपूर्ति संबन्धित फर्म से ली गई।

(ii) बोर्ड कार्यालय स्तर पर लेखापरीक्षा अवधि में ऐसे अभिलेखों का रखरखाव भी नहीं किया गया था कि जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता कि लेखापरीक्षा अवधि में संबन्धित क्षेत्रीय/जनपदीय कार्यालयों द्वारा वर्षवार किन-किन सामग्रियों की कितनी-कितनी मात्रा में आपूर्ति हेतु मांग प्रस्तुत की गई थी।

(iii) संप्रेक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि लेखापरीक्षा अवधि में बोर्ड कार्यालय स्तर पर ऐसे किसी अभिलेख का रखरखाव नहीं किया गया था जिससे यह सुनिश्चित किया जा सकता कि बोर्ड कार्यालय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2020-21 (अक्तूबर-2020) तक की अवधि में ` 172.36 करोड़ की धनराशि से जिन सामग्रियों की आपूर्ति लेते हुए संबन्धित क्षेत्रीय/जनपदीय कार्यालयों को उपलब्ध कराई गईं उनके सापेक्ष कितनी सामग्रियाँ बोर्ड कार्यालय के अंतर्गत रजिस्टर्ड एवं पात्र कर्मकारों में वितरित कर दी गईं एवं कितनी सामग्रियाँ संबन्धित क्षेत्रीय/जनपदीय कार्यालयों के पास अवशेष हैं।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 एवं 2 में उल्लिखित विसंगतियों के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि तत्कालीन बोर्ड सचिव से उत्तर प्राप्त किया जा रहा है, उत्तर प्राप्त होते ही कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखंड, देहरादून को सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

इकाई का उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि तत्कालीन बोर्ड सचिव से आख्या प्राप्त किया जाना बोर्ड कार्यालय का आंतरिक मामला है जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तरालेख दिया जाना वर्तमान बोर्ड सचिव की शासकीय दायित्व था जिसका निर्वहन वर्तमान बोर्ड सचिव द्वारा नहीं किया गया।

अतः बोर्ड कार्यालय स्तर पर ` 18.66 करोड़ के अनियमित भुगतान एवं ` 172.36 करोड़ की धनराशि से आपूर्तित सामग्रियों के पात्र लाभार्थियों में वितरण एवं अवशेष से संबन्धित आवश्यक अभिलेखों/सूचना के रख-रखाव न किए जाने संबंधी प्रकरण को उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-II 'ब'</u>

प्रस्तर-01 उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कार्यालय हेतु भवन के प्रथम तल को बिना शासन के पूर्वानुमोदन के किराए पर लेने के परिणामस्वरूप धनराशि ` 10.46 लाख का अनियमित भुगतान।

उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि दिनांक 23.10.2017 को उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की बैठक में उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मुख्यालय को हल्द्वानी से देहरादून में स्थानांतरित किए जाने पर सहमति प्रदान की गई। इस संबंध में उप श्रम आयुक्त, गढ़वाल क्षेत्र को बोर्ड कार्यालय के पत्र संख्या 4900 दिनांक 5.12.17 के द्वारा बोर्ड कार्यालय हेतु भवन तलाशने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। जिसके अनुपालन में श्रम आयुक्त, गढ़वाल क्षेत्र, देहरादून द्वारा अपने पत्र संख्या 1617 दिनांक 27.02.18 के द्वारा अवगत कराया कि निदेशालय, कर्मचारी राज्य बीमा योजना उत्तराखंड को भी कार्यालय हेतु भवन की आवश्यकता है, ईएसआई द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति एवं विभागीय समिति द्वारा श्रीमती लक्ष्मी सिंह राणा, सी-64 नेहरू कॉलोनी, देहरादून का भवन जिलाधिकारी देहरादून द्वारा जारी किए गए औचित्य प्रमाण पत्र के अनुसार किराए पर लिए जाने हेतु चयनित किया गया है। इसी भवन का द्वितीय तल कुल क्षेत्रफल 139.14 वर्ग मीटर खाली है जो बोर्ड कार्यालय हेतु पर्याप्त है, को ई एस आई के आधार पर एवं जिलाधिकारी देहरादून द्वारा जारी किए गए औचित्य प्रमाणपत्र के अनुसार {`230 प्रतिवर्ग मीटर की दर से भवन के द्वितीय तल का कुल मासिक किराया 230x139.14=`32,002/-}उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के मुख्यालय के कार्य संचालन हेतु किराए पर लिए जाने पर विचार किए जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उक्त प्रस्ताव को सचिव,उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादूनद्वारा पत्रांक संख्या- 78/छः (भवन) बीओसीडबल्यू /2017-18 दिनांक-17.03.17 के द्वारा सचिव, श्रम, उत्तराखंड, देहरादून को प्रेषित किया गया ।

सचिव, उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून के उक्त पत्र के संदर्भ में उत्तराखंड शासन स्तर से शासनादेश संख्या-491/viii/18-14(श्रम)/2018/दिनांक-28.03.2018 के द्वारा यह सूचित करते हुए कि जिलाधिकारी, देहरादून के पत्रांक-200/12-12 (2017-20)/प्रशा. अधि. (राज.)/ दिनांक-23.02.18 में दिये गए किराया औचित्य प्रमाण पत्र ` 230/- प्रति वर्ग मीटर की दर से भवन के द्वितीय तल का मासिक किराया (कुल कार्पेट एरिया में से टायलेट एरिया घटाते हुए) ` 122.35x 230 =` 28,140/- की दर से श्रीमती लक्ष्मी सिंह राणा, सी-64, नेहरू कॉलोनी, देहरादून के भवन को उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड हेतु भवन स्वामिनी एवं विभाग के साथ अनुबंध होने की तिथि से किराया अनुमन्य होने की शर्त के साथ अग्रिम 05 वर्ष के लिए अथवा विभागीय भवन उपलब्ध होने (जो भी पहले हो) तक किराये पर लिए जाने स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त प्रकरण में शासन के अनुमोदनोपरांत सचिव,भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा पत्रांक-89/छः-भवन/बीओसीडबल्यू/2018-19 दिनांक 02.04.18 के द्वारा जिलाधिकारी देहरादून द्वारा जारी किराया औचित्य प्रमाणपत्र के अनुसार `230/- प्रति वर्ग मीटर की दर से द्वितीय तल कुल कार्पेट एरिया (टोयलेट एरिया को घटाते हुए) 122.35x230= ` 28140/- की दर से किराए पर लिए जाने हेतु सहमति प्रदान कर दी गई तथा निर्धारित किराए की दरों पर लीज डीड संपादित कर बोर्ड को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित भी किया गया।

जबकि संप्रेक्षा के दौरान पाया गया कि भवन स्वामिनी द्वारा उत्तराखंड शासन के निर्देशों के विपरीत बोर्ड के साथ पाँच वर्ष के लिए लीज डीड नहीं की बल्कि दिनांक 06.04.2018 को मात्र 11 माह के

लिए किरायानामा विलेख ही बनवाया। यह भी सूच्य है कि 11 माह की समाप्ति के पश्चात संप्रेक्षा तिथि (नवंबर-2020) तक न तो दोनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित किरायानामा विलेख ही बनवाया गया न ही भवन स्वामिनी द्वारा बोर्ड के साथ लीज डीड ही की गई।

संप्रेक्षा के दौरान आगे पाया गया कि बोर्ड की बैठक दिनांक-02.05.18 में लिए गए निर्णय तथा जिलाधिकारी देहरादून द्वारा जारी किए गए किराया औचित्य प्रमाण पत्र के अनुसार `230/- प्रतिवर्ग मीटर की दर से उक्त भवन के प्रथम तल कुल कार्पेट एरिया (टोयलेट एरिया को घटते हुए) 123.18x 230=`28331.00 की दर से बिना उत्तराखंड शासन के अनुमोदन के ही किराए पर लेते हुए भवन स्वामिनी को बोर्ड के पत्रांक- 175 (A)/छः- भवन/बीओसीडबल्यू/2018-19/ दिनांक-19.05.18 के द्वारा सूचित भी किया गया तथा मई -2018 से उक्त प्रथम तल का किराया भी भवन स्वामिनी को भुगतान किया जाने लगा।

संप्रेक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि जून-2018 में भवन स्वामिनी द्वारा कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड लो०नि०वि देहरादून के पत्रांक-1975 दिनांक 07.06.2018 के द्वारा उपलब्ध कराये गए संशोधित बढ़े हुए रैंटेबल एरिया के अनुसार किराए की मांग किए जाने पर बोर्ड स्तर पर बिना जिलाधिकारी देहरादून द्वारा जारी किए गए किराया औचित्य प्रमाण पत्र के ही प्रथम एवं द्वितीय तल रैंटेबल एरिया 123.18 वर्ग मीटर एवं 122.35 वर्ग मीटर के स्थान पर क्रमशः रैंटेबल एरिया 134.28 वर्ग मीटर एवं 151.78 वर्ग मीटर का भुगतान `230/- प्रतिवर्ग मीटर की दर से जुलाई-2018 से किया जाने लगा जो वर्तमान तक जारी था।जिसके परिणामस्वरूप भवन स्वामी को द्वितीय तल हेतु उक्त अवधि में ` 0.69 लाख (` 30885 - 28140=2745x 25=`68625)का भुगतान किया गया।

संप्रेक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि भवन स्वामिनी को प्रथम तल एवं द्वितीय तल हेतु किराए के रूप में क्रमशः ` 9.15 लाख एवं `8.57 लाख का भुगतान अप्रैल-2018 से जुलाई-2020 की अवधि हेतु बोर्ड स्तर से किया गया था तथा प्रथम एवं द्वितीय तल हेतु बिजली बिल के रूप में `1.24 लाख का भुगतान किया जा चुका था।

इस प्रकार बोर्ड स्तर पर बोर्ड कार्यालय भवन के प्रथम तल को किराए पर लेने के संबंध में कुल धनराशि ` 10.46 लाख (किराए, बिजली एवं बढ़े हुए रैंटल एरिया हेतु क्रमशः ` 9.15 लाख,`0.62 लाख एवं ` 0.69 लाख) का अनियमित भुगतान किया गया। जबकि उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (रोजगार विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियम 2005 के नियम संख्या-291 में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि एक्ट एवं नियमों में इंगित उद्देश्यों से भिन्न उद्देश्यों पर व्यय बिना शासन के पूर्वानुमोदन के नहीं किया जाएगा। जबकि बोर्ड स्तर पर उक्त प्रकरण में शासन का अनुमोदन संप्रेक्षा तिथि (नवंबर-2020) तक नहीं लिया गया था।

उक्त अनियमित भुगतान के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर वर्तमान बोर्ड सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि तकालीन बोर्ड सचिव से इस संबंध में आख्या प्राप्त की जा रही है। वर्तमान बोर्ड सचिव का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तत्कालीन बोर्ड सचिव से आख्या प्राप्त किया जाना बोर्ड का आंतरिक मामला है जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख दिया जाना वर्तमान बोर्ड सचिव का शासकीय दायित्व था जिसका निर्वहन उनके द्वारा नहीं किया गया।

अतः उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड कार्यालय हेतु भवन के प्रथम तल को बिना शासन के पूर्वानुमोदन के किराए पर लेने के परिणामस्वरूप धनराशि ` 10.46 लाख के अनियमित भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर 02:- बोर्ड स्तर पर बिना शासन के पूर्वानुमोदन के ₹6.71 करोड़ के कम्बलों की अनियमित आपूर्ति लिया जाना।

उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम 2005 के **नियम-291** के अनुसार निधि से धन का खर्च शासन की पूर्व सहमति के बिना अधिनियम और नियमों में उल्लिखित प्रयोजनों के सिवा किसी दूसरे प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना था।

इसके अतिरिक्त भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम 1996 (Central ACT NO. 27 OF 1996) के नियम-22(Functions of the Boards) के बिन्दु (1-h) के अनुसार **make provision and improvement of such other welfare measures and facilities as may be *prescribed*[20].**

उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून द्वारा उपलब्ध कराये गए लेखा-अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि:-

बोर्ड द्वारा आई टी आई लिमिटेड से ₹6.71 करोड़ के 45000 कम्बलों का क्रय किया गया। जबकि कम्बल योजना के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम 2005 में प्रावधान ही नहीं किया गया है।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि अधिनियम के दिशा निर्देशो की अनदेखी करते हुये बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम 2005 तथा भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम 1996 (Central ACT NO. 27 OF 1996) के नियम-22(Functions of the Boards) के बिन्दु (1-h) के दिशा निर्देशों के विरुद्ध बिना शासन के पूर्वानुमोदन के **₹6.71 करोड़** के कम्बलों का क्रय किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अगर कोई बोर्ड स्तर से किसी भी योजना को पारित किया जाता है तो योजना पर शासन के अनुमोदन के पश्चात ही योजना को लागू किए जाने का निर्णय लिया जाएगा। तत्कालीन सचिव बोर्ड से इस सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की जा रही है कि किन परिस्थितियों में किस नियम के अन्तर्गत बिना शासन के पूर्वानुमोदन के बिना ही पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को गर्मकिट प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। इकाई के उत्तर से स्वतः आपत्ति की पुष्टि होती है।

अतः उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम 2005 के कम्बल की आपूर्ति एवं वितरण का प्रयोजन न होने के बाबजूद उक्त नियमावली के नियम-291 के विरुद्ध बिना शासन के पूर्वानुमोदन के ₹6.71 करोड़ के कम्बलों की आपूर्ति लिए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

[20] As per **2(m)** of aforesaid **Act** "**prescribed**" means prescribed by rule made under this act by the Central Government or, as the case may be, the State Government.

प्रस्तर-03: बिना मूल्याँकन के ₹12.78 करोड़ के 2 करोड़ सैनेटरी नैपकीन की आपूर्ति लिया जाना तथा वितरण एवं अवशेष की स्थिति ज्ञात न रहना।

बोर्ड द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों/आश्रितों को लाभान्वित करने हेतु कार्यालय ज्ञाप संख्या -75/2018 दिनाँक-23 जनवरी 2019 सैनटरी नैपकीन की आपूर्ति हेतु ITI Ltd को नामित कर एम ओ यू गठित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के अनुपालन में बोर्ड स्तर पर सैनटरी नैपकीन की आपूर्ति हेतु दिनाँक-25-01-2019 को ITI Ltd के साथ एम ओ यू गठित किया गया। बोर्ड के कार्यालय ज्ञाप संख्या -90/2018 दिनाँक- 25 जनवरी 2019 द्वारा 100000 निर्माण श्रमिकों की महिलाओं को सैनेटरी नैपकीन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। जिस हेतु दिनाँक-25.01.2019 को बोर्ड एवं M/s ITI Limited के मध्य 1.5 करोड़ से 2.0 करोड़ तक सैनेटरी नैपकीन क्रय हेतु एम ओ यू गठित किया गया था। जिसके सापेक्ष बोर्ड द्वारा जनवरी 2019 से मार्च 2020 तक ₹12.78 करोड़ की धनराशि की 19999872 सैनेटरी नैपकीन की आपूर्ति ली गई।

लेखापरीक्षा द्वारा 100000 निर्माण श्रमिकों की आश्रित महिलाओं अथवा महिला निर्माण श्रमिकों को सैनटरी नैपकीन के वितरण हेतु 1.5 करोड़ से 2.0 करोड़ की संख्या का निर्धारण के सम्बन्ध में पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि बोर्ड द्वारा 2.0 करोड़ सैनटरी नैपकीन लिए जाने का निर्णय लिया गया था, किन्तु एम ओ यू में 1.5 करोड़ करोड़ अंकित हो गया था। तत्कालीन सचिव से इस सम्बन्ध में आख्या प्राप्त की जा रही है। इकाई का उत्तर संतोषजनक नहीं है।

आगे लेखापरीक्षा द्वारा 12.78 करोड़ की 19999872 सैनटरी नैपकीन के वितरण एवं अवशेष की स्थिति के सम्बन्ध में पूछे जाने पर इकाई द्वारा अवगत कराया गया कि सामग्री वितरण किए जाने का कार्य क्षेत्रीय/जनपद स्तरीय कार्यालयों में श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के माध्यम से कराया जाता है, वितरण की सूची प्राप्त किए जाने हेतु संबन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। चूँकि बोर्ड स्तर पर 12.78 करोड़ से 19999872 सैनटरी नैपकीन का क्रय किया गया इसलिए बोर्ड स्तर पर वितरण एवं अवशेष की स्थिति से संबन्धित अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना चाहिए था। इसलिए इकाई का उत्तर मान्य नहीं है।

अतः बिना मूल्याँकन के ₹12.78 करोड़ के 2 करोड़ सैनेटरी नैपकीन का क्रय तथा वितरण एवं अवशेष की स्थिति ज्ञात न रहने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर-04: चिकित्सालयों को ₹3.48 करोड़ का अनियमित भुगतान।

उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम 2005 के **नियम-291** के अनुसार निधि से धन का खर्च शासन की पूर्व सहमति के बिना अधिनियम और नियमों में उल्लिखित प्रयोजनों के अतिरिक्त किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाना था। इसके अतिरिक्त भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम 1996 (Central ACT NO. 27 OF 1996) के नियम-22(Functions of the Boards) के बिन्दु (1-h) के अनुसार **make provision and improvement of such other welfare measures and facilities as may be *prescribed*[21].**

1. बोर्ड कार्यालय द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा लाभ से संबन्धित अभिलेखों की नमूना जाँच में पाया गया कि दिनाँक-10.12.2018 को बोर्ड की 25वीं बैठक में निर्माण श्रमिकों/उनके आश्रितों को ESI की तर्ज पर चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने के निर्णय लिया गया। जिसके अनुसार बोर्ड स्तर से चिकित्सालयों को एम्पेनल्ड किया जाना था। उपचार के उपरान्त संबन्धित चिकित्सालय द्वारा बिल बोर्ड को प्रेषित किया जाना था। जिसका भुगतान बोर्ड स्तर से किया जाएगा। उपरोक्त के अनुक्रम में बोर्ड स्तर से **Annexure-I** में वर्णित चिकित्सालयों को एम्पेनल्ड किया गया। **Annexure-I** में वर्णित चिकित्सालयों को निर्माण श्रमिकों/उनके आश्रितों के उपचार हेतु ₹3.48 करोड़ का भुगतान किया गया। जबकि उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम 2005 में ESI की तर्ज पर चिकित्सा लाभ प्रदान करने हेतु प्रयोजन ही नहीं किया गया था तथा साथ ही भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा-शर्तों का विनियम) अधिनियम 1996 (Central ACT NO. 27 OF 1996) के नियम-22(Functions of the Boards) के बिन्दु (1-f) के अनुसार "**meet such medical expenses for treatment of major ailments of a beneficiary or, such dependant, as may be *prescribed*[22]**." परन्तु बोर्ड कार्यालय द्वारा उपरोक्त नियमों के विपरीत बिना शासन के पूर्वानुमोदन के निर्माण श्रमिकों/उनके आश्रितों के उपचार हेतु एम्पेनल्ड चिकित्सालयों को **₹3.48 करोड़(Annexure-I के अनुसार)** का अनियमित भुगतान किया गया।

उक्त आपत्तियों के सन्दर्भ में इकाई ने तथ्यों एवं आँकड़ों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि तत्कालीन सचिव बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है। इकाई का उत्तर कहीं से भी मान्य नहीं है क्योंकि तत्कालीन सचिव से विषयगत प्रकरण में आख्या प्राप्त करना बोर्ड का आन्तरिक मामला है, जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों का उत्तरालेख प्रदान करना वर्तमान बोर्ड सचिव का शासकीय दायित्व है।

---

[21] As per **2(m)** of aforesaid **Act** "**prescribed**" means prescribed by rule made under this act by the Central Government or, as the case may be, the State Government.

[22] As per **2(m)** of aforesaid **Act** "**prescribed**" means prescribed by rule made under this act by the Central Government or, as the case may be, the State Government.

इस प्रकार वर्तमान बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख उपलब्ध न कराया जाना लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति बोर्ड की स्वीकारोक्ति है।

अतः उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम में प्रयोजन न होने के बावजूद चिकित्सालयों को ₹3.48 करोड़ का अनियमित भुगतान का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग- 2(ब)

प्रस्तर 05:- उत्तराखण्ड शासन अधिप्राप्ति नियमावली के विरूद्ध धनराशि रु0 60.11 लाख की समग्रियों का क्रय किया जाना।

उत्तराखण्ड शासन वित्त(वे0आ0-सा0नि0) अनुभाग-7 अधिसूचना संख्या- 129/ XXVII(7)32/ 2007 देहरादून: दिनांक 14 जुलाई, 2017 [उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॉक्यूरमेंट) नियमावली-2017] अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांत बिंदु संख्या 3(1) में स्पष्ट था कि समस्त अधिप्राप्ति प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा तथा निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके एवं बिंदु संख्या 3(10) में स्पष्ट उल्लेखित था कि अधिप्राप्ति के निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा की एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाए । अधिप्राप्ति मूल्य कम करने के लिए आवश्यक मात्रा को विभाजित नहीं किया जाएगा और न ही कुल आवश्यकता के आंकलित मूल्य के सन्दर्भ में अपेक्षित उच्चतर प्राधिकारी की संस्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता से बचने के लिए छोटे- छोटे भागों में विभक्त किया जाएगा ।

उत्तराखण्ड, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखापरीक्षा जाँच के दौरान पाया गया कि बोर्ड कार्यालय स्तर से विभिन्न वर्षों मे धनराशि रु 60.11 लाख की समान(same) प्रकार की सामग्रियों(कम्प्युटर, फर्नीचर एवं अन्य सामाग्री) का क्रय अधिप्राप्ति नियमावली के विरुद्द छोटे- छोटे भागों में विभक्त करके खरीदारी की गयी जिसका वर्षवार विवरण निम्नवत था-

क्र0 सं0	वित्तीय वर्ष	कम्प्युटर सामाग्री (A)		फर्नीचर सामाग्री (B)		अन्य सामाग्री (C)		अधीनस्थ कार्यालय हेतु क्रय सामग्रियां (D)		कुल धनराशि (A+B+C+D) (रु)
		मात्रा	धनराशि (रु)	मात्रा	धनराशि (रु)	मात्रा	धनराशि (रु)	मात्रा	धनराशि (रु)	
1	2016-17	8	71072.00	46	329817.00	-	--	-	-	400889.00
2	2017-18	26	422280.00	38	299724.00	-	-	-	-	722004.00
3	2018-19	12	310840.00	107	1123987.00	29	942870.00	114	1418091.00	3795788.00
4	2019-20	43	1010402.00	9	81712.00	-	-	-	-	1092114.00
कुल योग		**89**	**18,14,594.00**	**200**	**18,35,240.00**	**29**	**9,42,870.00**	**114**	**1418091.00**	**60,10,795.00**

उक्त विवरणानुसार बोर्ड कार्यालय द्वारा क्षेत्रीय/अधीनस्थ कार्यालयों हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 मे धनराशि रु 14.18 लाख से क्रय की गए सामग्रियों को संबन्धित फर्मों द्वारा सीधे अधीनस्थ कार्यालयों को उपलब्ध कराया जाना बताया गया परन्तु अधीनस्थ कार्यालय का सामग्रियों के प्राप्ति से संबन्धित कोई भी प्रमाण अभिलेखों मे उपलब्ध नहीं पाया गया था।

नियमानुसार अधिप्राप्ति के निम्नतम दरों का लाभ प्राप्त करने के लिए यथासाध्य अधिकतम आवश्यक मात्रा का आंकलन करते हुये एक साथ अधिप्राप्ति का प्रयास किया जाना चाहिए था। परन्तु उक्त विवरणानुसार रु 60.11 लाख की आपूर्ति से स्पष्ट था कि बोर्ड द्वारा समान(same) प्रकार की

सामग्रियाँ को वित्तीय वर्ष के दौरान छोटे- छोटे भागों में विभक्त करके **निविदा प्रक्रिया** से बचने के लिए खरीदारी की गयी थी। उक्त सामग्री को नियम विपरीत आपूर्ति लिया जाना बोर्ड की उदासीनता को दर्शाता है जिसके परिणामस्वरुप संबन्धित फर्मों को अप्रत्यक्ष लाभ पहुचायें जाने से भी इंकार नहीं किया जा सकता था। इकाई द्वारा भण्डार पंजिकाओं का भौतिक सत्यापन भी नहीं किया गया था जिससे यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका था कि बोर्ड स्तर पर जिन सामग्रियों की आपूर्ति विगत चार वर्षों मे ली गयी थी वह वास्तव मे बोर्ड कार्यालय मे उपलब्ध भी थी अथवा नहीं।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये स्पष्ट किया कि तत्कालीन सचिव बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि तत्कालीन सचिव से विषयगत प्रकरण मे आख्या प्राप्त करना बोर्ड का आन्तरिक मामला है जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख प्रदान करना वर्तमान बोर्ड सचिव का शासकीय दायित्व है। इस प्रकार बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख उपलब्ध न कराया जाना लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति बोर्ड की स्वीकारोक्ति है।

अत: उत्तराखण्ड शासन अधिप्राप्ति नियमावली के विरुद्द धनराशि रु0 60.11 लाख की समग्रियों का क्रय किये जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-06:- बोर्ड द्वारा बनाई गयी अधिशेष निधियों (एफ़डीआर्स) का उचित रखरखाव न किये जाने के सम्बंध मे।

बोर्ड कार्यालय के अभिलेखों की नमूना जाँच पाया गया कि:

(1) बोर्ड स्तर पर वर्ष 2015-16 से 2020-21 तक की अवधि में ओबीसी बैंक हरिद्वार मे बनवाई एफ़डीआर्स का विवरण संलग्न अनुलग्नक 'अ' के अनुसार है।

बोर्ड कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार उपरोक्तानुसार ओबीसी बैंक मे चार एफ़डीआर्स थी जिनकी Principal Value वित्तीय वर्ष 2015-16 मे ` 3,13,05,816.00 थी जिस पर बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 मे ब्याज ` 22,24,516.00, वित्तीय वर्ष 2016-17 मे ब्याज ` 31,16,180.00, वित्तीय वर्ष 2017-18 मे ब्याज ` 26,98,520.00, वित्तीय वर्ष 2018-19 मे ब्याज ` 26,61,752.00, वित्तीय वर्ष 2019-20 मे ब्याज ` 9,55,564.00 एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 (24.07.2020) मे ब्याज ` 14,76,012.00 ब्याज प्राप्त हुआ। उपरोक्त एफ़डीआर्स की Principal Value वित्तीय वर्ष 2019-20 मे ` 4,20,06,784.00 थी। जिस पर बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 मे ` 9,55,564.00 का ब्याज प्राप्त हुआ, जब कि वित्तीय वर्ष 2018-19 मे उक्त की एफ़डीआर्स की Principal Value ` 3,93,45,032.00 थी जिस पर ` 26,61,752.00, ब्याज प्राप्त हुआ था। अत: एफ़डीआर्स की Principal Value ` 4,20,06,784.00 होने के बावजूद भी किन परस्थितियों में ब्याज की कम धनराशि प्राप्त हुई।

(2) यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बोर्ड कार्यालय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2015-16 से वर्ष में 2019-20 में विभिन्न बैंकों मे भिन्न-भिन्न तिथियों पर को फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदें (FDR's) के रूप में निधियों का नियोजन किया गया। परन्तु स्तर पर बोर्ड एफ़डीआर्स के नियोजन से पूर्व न तो संबन्धित बैंकों में तत्समय देय ब्याज दरों से संबन्धित कोटेशन ही प्राप्त किए गये एवं न ही विभिन्न बैंकों से अधिकतम ब्याज दर का लाभ लेने हेतु कोई विश्लेषण नही किया गया जिसके कारण यह सुनिश्चित नही किया जा सकता कि बोर्ड स्तर नियोजित एफ़डीआर्स पर अधिकतम ब्याज की दरों का लाभ लिया गया अथवा नही।

(3) संप्रेक्षा के दौरान यह भी पाया गया बोर्ड द्वारा कैनरा बैंक में वित्तीय वर्ष 2015-16 मे पाँच एफ़डीआर्स बनवाई गयी जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

Account No.	Dep No.	Principal Balance
2726401003291	1	90,00,000.00
2726401003291	2	90,00,000.00
2726401003291	3	90,00,000.00
2726401003291	4	90,00,000.00
2726401003291	5	40,00,000.00
	योग	**4,00,00,000.00**

उपरोक्त एफ़डीआर्स को चार बार renew की गई वित्तीय वर्ष 2020-21 (22 October 2020) मे उक्त एफ़डीआर्स परिपक्व की गयी जिसका विवरण निम्न प्रकार है:

Account No.	Dep No.	Principal Balance	*Balance*
2726401003291	21	1,19,89515.00	1,50,233.86
2726401003291	22	1,18,17,930.00	1,45,628.67
2726401003291	23	1,18,17,930.00	1,43,153,37
2726401003291	24	1,18,16,348.00	1,40,678.09
2726401003291	25	52,57,313.00	60,412.98
	योग	**5,26,95,875.00**	**6,40,106.97**

उक्त एफ़डीआर्स की परिपक्वता की धनराशि ` 5,26,95,875.00 खाता सख्या 2726101007306 मे दिनांक 22.10.2020 को जमा हो गई। एफ़डीआर्स परिपक्व के बाद भी बोर्ड द्वारा रू 6,40,106.97 धनराशि खातों मे शेष है। जबकि एफ़डीआर के परिपक्व होने के बाद एफ़डीआर्स के खाते मे धनराशि शेष नही रहनी चाहिये।

लेखापरीक्षा द्वारा उपरोक्त विसंगतियों के सम्बन्ध में इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये स्पष्ट किया गया कि तत्कालीन सचिव बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि तत्कालीन सचिव से विषयगत प्रकरण मे आख्या प्राप्त करना बोर्ड का आन्तरिक मामला है जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख प्रदान करना वर्तमान बोर्ड सचिव का शासकीय दायित्व है। इस प्रकार बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख उपलब्ध न कराया जाना लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति बोर्ड की स्वीकारोक्ति है। बोर्ड द्वारा बनाई गयी अधिशेष निधियों (एफ़डीआर्स) का उचित रखरखाव न किये जाने का प्रकरण प्रकरण उच्चाधिकारियों संज्ञान मे लाया जाता है।

अनुलग्नक 'अ'

Statement of FDR's for the financial year 2015-16

FDR Number	Principal Value	Interest	Maturity Value
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013328	78,26,454.00	5,56,129.00	83,82,583.00
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013335	78,26,454.00	5,56,129.00	83,82,583.00
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013342	78,26,454.00	5,56,129.00	83,82,583.00
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013359	78,26,454.00	5,56,129.00	83,82,583.00
Total	**3,13,05,816.00**	**22,24,516.00**	**3,35,30,332.00**

Statement of FDR's for the financial year 2016-17

FDR Number	Principal Value	Interest	Maturity Value
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013328	83,82,583.00	7,79,045.00	91,61,628.00
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013335	83,82,583.00	7,79,045.00	91,61,628.00
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013342	83,82,583.00	7,79,045.00	91,61,628.00
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013359	83,82,583.00	7,79,045.00	91,61,628.00
Total	**3,35,30,332.00**	**31,16,180.00**	**3,66,46,512.00**

Statement of FDR's for the financial year 2017-18

FDR Number	Principal Value	Interest	Maturity Value
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013328	91,61,628.00	6,74,630.00	98,36,258.00
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013335	91,61,628.00	6,74,630.00	98,36,258.00
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013342	91,61,628.00	6,74,630.00	98,36,258.00
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013359	91,61,628.00	6,74,630.00	98,36,258.00
Total	**3,66,46,512.00**	**26,98,520.00**	**3,93,45,032.00**

Statement of FDR's for the financial year 2018-19

FDR Number	Principal Value	Interest	Maturity Value
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013328	98,36,258.00	6,65,438.00	1,05,01,696.00
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013335	98,36,258.00	6,65,438.00	1,05,01,696.00
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013342	98,36,258.00	6,65,438.00	1,05,01,696.00
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013359	98,36,258.00	6,65,438.00	1,05,01,696.00
Total	**3,93,45,032.00**	**26,61,752.00**	**4,20,06,784.00**

Statement of FDR's for the financial year 2019-20

FDR Number	Principal Value	Interest	Maturity Value
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013328	1,05,01,696.00	2,38,891.00	1,07,40,587.00
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013335	1,05,01,696.00	2,38,891.00	1,07,40,587.00
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013342	1,05,01,696.00	2,38,891.00	1,07,40,587.00
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013359	1,05,01,696.00	2,38,891.00	1,07,40,587.00
Total	**4,20,06,784.00**	**9,55,564.00**	**4,29,62,348.00**

Statement of FDR for the financial year 2020-21

FDR Number	Principal Value	Interest	Maturity Value
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013328	1,07,40,587.00	3,69,003.00	1,11,09,590.00
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013335	1,07,40,587.00	3,69,003.00	1,11,09,590.00
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013342	1,07,40,587.00	3,69,003.00	1,11,09,590.00
FDR IN OBC HARIDWAR12923031013359	1,07,40,587.00	3,69,003.00	1,11,09,590.00
Total	**4,29,62,348.00**	**14,76,012.00**	**4,44,38,360.00**

भाग दो (ब)

प्रस्तर-07: बोर्ड कार्यालय स्तर पर लेखांकन हेतु अतिमहत्वपूर्ण अभिलेखों का रखरखाव न करते हुए ` 521.88 करोड़ की धनराशि का व्यय किया जाना।

उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून के विस्तृत जाँच हेतु चयनित माह (May-2019, March-2019 and May-2020) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि बोर्ड कार्यालय स्तर पर लेखांकन हेतु अतिमहत्वपूर्ण अभिलेख जैसे:

1. रोकड़-बही (Cash Book)
2. Register of Cheques Issued,
3. Register of Valuables,
4. Reconciliation of Cheques/ BRS
5. Register of Period of validity of a Cheque,
6. Register of Lost Cheques etc.

अभिलेखों का रखरखाव बोर्ड द्वारा नही किया गया जबकि :

As per the section 261(1), (e) (Power, duties and functions of the Board) of The Uttaranchal Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2005, the board was responsible for maintenance of proper accounts.
Further, as per section 27(1) Accounts and Audit of The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996, the Board was to maintain proper accounts and other relevant record and prepare an annual statement of accounts in such form as may be prescribed in consultation with the Comptroller and Auditor General of India. Whereas during the test check of Board's documents it was noticed that the approval of the same from the Comptroller and Auditor General of India had not taken at Board's level during audit period. In this regard it may be stated to audit that due to which reasons such approval has not taken from the Comptroller and Auditor General of India.

During 2015-16 to 2020-21 (October-2020) expenditure of ` 521.8 8crore has been incurred at Board level whereas, important records such as Cash Book, Cheque issue register, Reconciliation Statement etc. have not been maintained at Board level. In this regard it may kindly be intimated to audit that due to which reasons such huge expenditure has been incurred without maintaining such important records.

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि करते हुये स्पष्ट किया कि तत्कालीन सचिव बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि तत्कालीन सचिव से विषयगत प्रकरण मे आख्या प्राप्त करना बोर्ड का आन्तरिक मामला है जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख प्रदान करना वर्तमान बोर्ड सचिव का शासकीय दायित्व है। इस प्रकार बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख उपलब्ध न कराया जाना लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति बोर्ड की स्वीकारोक्ति है। अत: बोर्ड कार्यालय स्तर पर लेखांकन हेतु अतिमहत्वपूर्ण अभिलेखों

का रखरखाव न करते हुए ` 521.88 करोड़ की धनराशि का व्यय किया जाने का प्रकरण प्रकरण उच्चाधिकारियों संज्ञान मे लाया जाता है।

भाग दो (ब)

प्रस्तर-08: फ्लेक्सी सुविधा का लाभ न उठाने के कारण ` 9.03 लाख ब्याज की हानि।

बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराये बैंक स्टेटमेंट April -2019 to July 2020 की अवधि के बैंक खातों से संबन्धित अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि, बोर्ड ORIENTAL BANK OF COMMERCE (PUNJAB NATIONAL BANK WEF 01-04-2020) Account No : 12921131000767 का संचालन किया जा रहा था। उक्त खाते पर बैंक द्वारा कोई ब्याज का भुगतान नही किया गया एवं बोर्ड कार्यालय के खाते मे धनराशि ` 17.59 करोड़ अव्ययित पड़ी थी। जबकि सभी राष्ट्रीकृत बैंक बचत/चालू खाते ओर फ्लेकसी सुविधा प्रदान करते हैं, जिस पर किसी खाते पर ` 50,000 धनराशि को छोड़कर शेष धनराशि पर April 2019 to July 2020 के बीच की अवधि में 6.75 से 5.5 *प्रतिशत* की दर से ब्याज दर प्रचलित थी। यदि बोर्ड फ्लेक्सी सुविधा का लाभ उठाता तो उक्त खाते के अंतर्गत संलग्न अनुलग्नक 'ब' के अनुसार ` 902621.43 का ब्याज अर्जित कर सकता था। उक्त कृत्य आर्थिक रूप विवेकपूर्ण कार्य के रूप मे नही देखा जा सकता है और इस सुविधा का लाभ बोर्ड के वितीय स्थिति को बेहतर कर सकता था। बोर्ड ने इस सुविधा का लाभ नही उठाया जिसके कारण बोर्ड ` 902621.43 का ब्याज अर्जित करने से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये स्पष्ट किया कि तत्कालीन सचिव बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि तत्कालीन सचिव से विषयगत प्रकरण मे आख्या प्राप्त करना बोर्ड का आन्तरिक मामला है जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख प्रदान करना वर्तमान बोर्ड सचिव का शासकीय दायित्व है। इस प्रकार बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख उपलब्ध न कराया जाना लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति बोर्ड की स्वीकारोक्ति है। अत: बोर्ड द्वारा फ्लेक्सी सुविधा का लाभ न उठाने के कारण ` 9.03 लाख ब्याज की हानि का का प्रकरण प्रकरण उच्चाधिकारियों संज्ञान मे लाया जाता है।

प्रस्तर-09: बोर्ड कार्यालय स्तर पर धनराशि ` 5.96 लाख का अधिक भुगतान।

बोर्ड कार्यालय स्तर भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 सपठित राज्य नियमावली में दिये गए प्रावधानों के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों तथा उनके आश्रितों को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार योजना के अन्तर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों/इनके आश्रितों को RPL के अन्तर्गत कौशल उन्नयन प्रशिक्षण दिया जाना था। जिस का भुगतान निम्नानुसार किया जाना था। (As per letter No. RW/NH-12037/17/2016-EAP Dated 18 January, 2017 Government of India Ministry of Road Transport & Highways (EAP Zone) point number 1.5 A.1 Training cost at the rate of ` 32.50 per hour per worker. The rate of training cost will increase by 10% from every financial year starting 1st April.) उपरोक्त के अनुसार G & G Skills Developer (P) Ltd एवं Simplex Infrastructures Ltd द्वारा दिये गये प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 में क्रमशः ` 35.75 प्रति घण्टा (` 32.50+` 32.50∗10/100 per hour) एवं ` 39.325 (` 35.75+` 35.75∗10/100 per hour) प्रति घण्टा के अनुसार भुगतान किया जाना था। जबकि बोर्ड कार्यालय स्तर संलग्न अनुलग्नक 'क' के अनुसार पर वर्ष 2017-18 में ` 36.30 एवं 2018-19 में ` 39.93 की दर से भुगतान किया गया। जिसके परिणामस्वरूप G & G Skills Developer (P) Ltd एवं Simplex Infrastructures Ltd को धनराशि ` 5.96 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई ने तथ्यों एवं आकड़ों की पुष्टि करते हुये स्पष्ट किया कि तत्कालीन सचिव बोर्ड से आख्या प्राप्त की जा रही है। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि तत्कालीन सचिव से विषयगत प्रकरण मे आख्या प्राप्त करना बोर्ड का आन्तरिक मामला है जबकि लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख प्रदान करना वर्तमान बोर्ड सचिव का शासकीय दायित्व है। इस प्रकार बोर्ड सचिव द्वारा लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरालेख उपलब्ध न कराया जाना लेखापरीक्षा आपत्तियों के प्रति बोर्ड की स्वीकारोक्ति है, बोर्ड द्वारा धनराशि ` 5.96 लाख का अधिक भुगतान किये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

<u>भाग-III</u>

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
13/2012-13	01	01,02,03 एवं 04

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
13/2012-13	भाग-2 'अ' प्रस्तर सं०-01 तथा भाग-2 'ब' प्रस्तर सं०-01,03 एवं 04	इकाई द्वारा कोई अनुपालन आख्या लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई।	इकाई द्वारा अनुपालन आख्या प्रस्तुत न किए जाने के कारण प्रस्तर यथावत रहेंगे।	विगत प्रस्तर सं-02 का निस्तारण करते हुए अद्यतन प्रस्तर जारी किया गया है।

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

<u>भाग-V</u>

<u>आभार</u>

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) लेखापरीक्षा ज्ञाप संख्या-41/1059 से संबन्धित वांछित सूचना।

(ii) लेखापरीक्षा ज्ञाप संख्या-49/1059 से संबन्धित वांछित सूचना।

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :**

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
डा० आनन्द श्रीवास्तव	**सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड**	10.01.2015 से 31.08.2017
श्री हरवंश सिंह चुग	**सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड**	01.09.2017 से 01.04.2018
डा० आनन्द श्रीवास्तव	**सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड**	02.04.2018 से 01.08.2018
श्रीमती दमयंती रावत	**सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड**	02.08.2018 से 02.11.2020
श्रीमती दीप्ति सिंह	**सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड**	02.11.2020 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति सचिव, उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार/ए०एम०जी-I, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ए.एम.जी.--I